जनवरी 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

इस अंक में...

5 राज्यपाल ने 28 विधायकों को दिलायी मंत्री पद की शपथ

7 मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का परिचय

18 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने किया पदभार ग्रहण

20 साक्षात्कार : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल

22 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में धार जिले में मूक-बधिर नव-दम्पत्ति को मिली बढ़ी हुई राशि

32 ग्राम विकास योजना प्रपत्र : कार्य तथा गतिविधियाँ

33 प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए स्टेप्स

35 महाराष्ट्र में स्वच्छ भारत की अलख जगा रहा है विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय

36 मध्यप्रदेश आवास निर्माण में देश में प्रथम

14 **मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2018 :** इंडियन नेशनल कांग्रेस को 114 और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिलीं

19 **ब्लॉग :** हमारी लड़ाई आर्थिक बदहाली, कुपोषण, घटते रोज़गार अवसर और कम होते निवेश से है इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे - मुख्यमंत्री

27 खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेता संघ ने किया मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन

28 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने विभागीय समीक्षा में दिये निर्देश

30 ग्राम पंचायत विकास योजना पर कार्यशाला का आयोजन

39 मीसल्स-रुबैला टीकाकरण के समर्थन के लिए लिया संकल्प...

41 26 जनवरी, 2019 गणतंत्र दिवस को ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश

संरक्षक
कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध सम्पादक
उर्मिला शुक्ला

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। इस अंक में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की जानकारी का बेहतर प्रस्तुतीकरण किया गया है। योजना कितने चरणों में चलेगी, योजना की विषय वस्तु क्या होगी, योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, योजना का लाभ किस तरह उठाया जा सकता है आदि जानकारी प्रकाशित की गई है। यह जानकारी आम ग्रामीणजन के लिए उपयोगी है।

- विशाल सक्सेना
दमोह (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का दिसम्बर अंक पढ़ने को मिला। ग्रामीण भारत के विकास और निर्माण में पंचायतराज व्यवस्था की सशक्त भूमिका को पत्रिका में बेहतर तरीके से बताया गया है। गाँवों के समग्र विकास के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना चलाई गई। इस योजना की समग्र जानकारी को पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इससे यह पत्रिका संग्रहणीय बन गई है।

- संगीता तिवारी
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक देखा। इस अंक में ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय भी प्रकाशित किया गया है। इससे आम ग्रामीणों को मुख्यमंत्री जी के बारे में जानने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक संग्रहणीय है। हमें उम्मीद है, भविष्य में इस पत्रिका में इसी तरह की उपयोगी जानकारियां प्रकाशित होती रहेंगी।

- अर्जुन सिंह राठौर
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का दिसम्बर माह का अंक पढ़ा। इस अंक में ग्राम पंचायत विकास योजना की समग्र जानकारी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा पंचायिका में मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख परिपत्रों और आदेशों को भी प्रकाशित किया गया है। इन आदेशों और परिपत्रों के प्रकाशन से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और आमजन को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है। इन जानकारियों से ग्राम पंचायत सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास को गति मिलती है।

- अनिल कुमार
सागर (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओं

सभी को नए साल की शुभकामनाएँ।

मैं आपके ज्ञान, विवेक और क्षमता का आदर करता हूँ। हम सब गाँवों को सशक्त और विकसित बनाने के मिशन में जुटे हैं। आप सब पंचायत राज व्यवस्था को मज़बूत और प्रभावी बनाने में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं।

पंचायतों और गाँवों को आगे लाने में आपकी समझदारी और सोच को नई सरकार में अब सही दिशा मिलेगी। आपके समृद्ध अनुभव ही हमारी पूँजी है। इसका लाभ लोगों के कल्याण और गाँव के विकास में होना चाहिए।

आप सब जानते हैं कि गाँव का विकास हुए बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।

गाँव को विकास का केंद्र बिंदु बनाना हमारी प्राथमिकता है। पंचायतों को निचले स्तर पर सर्वाधिक संपन्न संस्था बनाना दूसरी बड़ी प्राथमिकता है, ताकि गाँव से जुड़े सभी मुद्दों का हल गाँव में ही हो जाए।

हमने स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी के नेतृत्व में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का संकल्प लिया है। निचले स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिये ग्राम स्वराज की सोच को अपनाना होगा। इसे मजबूत करना होगा।

वर्तमान में ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यक्रमों से आप परिचित होंगे। हितग्राही मूलक योजनाओं को अमल में लाने, सफलताओं, असफलताओं का आपका अपना अनुभव होगा। हम सबको मिलकर यह सोचना होगा कि हमारे भरपूर प्रयासों के बावजूद हमें अपनी अपेक्षानुसार परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या हमारे प्रयासों में कमी है या हमारी रणनीतियों में कमी है। दोनों ही स्थितियां चिंता में डालने वाली हैं।

हमारे लिये जो सबसे जरूरी है वह यह कि गाँव को हम हर प्रकार से आत्मनिर्भर बना दें। रोजी रोटी की तलाश में गाँव के लोगों को गाँव नहीं छोड़ना पड़े। हमारे पास महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना जैसा अस्त्र है। इसका रचनात्मक और प्रभावी उपयोग करें। आप अपने मैदानी अनुभव से बेहतर जानते हैं कि कैसे इसका उपयोग पलायन रोकने में हो सकता है।

ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा निजी अनुभव यह रहा है कि ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित आयोजित नहीं होतीं। सिर्फ खानापूर्ति हो जाती है। सरकार की सोच साफ है कि ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य पंचायतों में अलग से ग्राम सभाओं की बैठकें होंगी। इसका उद्देश्य यह है कि गाँव का हर सदस्य गाँव से जुड़े फैसले में भागीदार बने। ऐसा तभी होगा जब ग्राम सभाओं में यह संदेश जायेगा कि वह कितनी महत्वपूर्ण और सशक्त संवैधानिक संस्था हैं। यह बताने की जिम्मेदारी आपकी है।

आप शासन-प्रशासन के अंग हैं। सरकार की किसी भी विकास योजना के अमल में परेशानी महसूस करें तो मेरी जानकारी में लायें। सिर्फ यह मूलमंत्र रखें कि यह ''लोगों की सरकार'' है और ''लोग ही सरकार'' हैं।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
संचालक

प्रिय पाठको,

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। विगत दिनों मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। चुनाव परिणामों के उपरांत नवीन मंत्रिमण्डल का गठन किया गया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नवगठित मंत्रिमंडल को 25 दिसम्बर को राजभवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण और मंत्रीगण को आवंटित विभागों की जानकारी हम मंत्रिमंडल गठन स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं।

पाठकों की जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय भी प्रकाशित किया जा रहा है। पाठकों को अपने क्षेत्र के विधायकों की जानकारी उपलब्ध हो सके, इसलिए मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 में विजित सभी उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी के मिशन, विज़न और लक्ष्य पर केन्द्रित ब्लॉग ''हमारी लड़ाई आर्थिक बदहाली, कुपोषण, घटते रोज़गार अवसर और कम होते निवेश से है। इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे।'' को ब्लॉग स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था और भावी आयोजना पर केन्द्रित पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से हुई बातचीत साक्षात्कार स्तंभ में शामिल है।

खास खबरों में पात्र किसानों को कर्ज माफी का लाभ आसानी से मिले, लापरवाही और सुस्ती के प्रति राज्य सरकार अपनाएगी जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में धार जिले के मूक-बधिर नव-दम्पत्ति को मिली बढ़ी हुई राशि और योजनाओं को घर-घर पहुँचाएं आदि खबरें समाहित हैं।

इसी अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा विभागीय समीक्षा में दिये निर्देशों का समाचार विभागीय समीक्षा में शामिल किया गया है।

आठ जनवरी को ग्राम पंचायत विकास योजना पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला विवरण के अतिरिक्त विकास योजना के लिए प्रपत्र और प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में एंट्री के लिए विभिन्न चरणों की जानकारी प्रकाशित की जा रही है, इससे आपको ऑनलाइन एंट्री करने में मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस समाचार को भी इस अंक में शामिल किया गया है। अंत में, हर बार की ही तरह पंचायत बजट में विभागीय निर्देश प्रकाशित हैं।

इस अंक में इतना ही, पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(उर्मिला शुक्ला)
संचालक, पंचायत राज

राज्यपाल ने 28 विधायकों को दिलायी

मंत्री पद की शपथ

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नवगठित मंत्रिमंडल को भोपाल स्थित राजभवन में शपथ दिलायी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह में 28 विधायकों ने मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों में डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री हुकुम सिंह कराड़ा, डॉ. गोविंद सिंह, श्री बाला बच्चन, श्री आरिफ अकील, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, श्री प्रदीप जायसवाल, श्री लाखन सिंह यादव, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्रीमती इमरती देवी, श्री ओमकार सिंह मरकाम, डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्री प्रियव्रत सिंह, श्री सुखदेव पांसे, श्री उमंग सिंघार, श्री हर्ष यादव, श्री जयवर्द्धन सिंह, श्री जीतू पटवारी, श्री कमलेश्वर पटेल, श्री लखन घनघोरिया, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री पी.सी. शर्मा, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्री सचिन सुभाष यादव, श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल और श्री तरुण भनोट शामिल हैं। राज्यपाल ने नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ लेने के बाद बधाई दीं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने

मंत्रीगण को आवंटित विभाग

राज्य शासन ने मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण को विभाग आवंटन संबंधी आदेश जारी किये हैं।

मंत्री		विभाग
श्री कमल नाथ (मुख्यमंत्री)	-	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, अप्रवासी भारतीय, अन्य विभाग जो किसी को आवंटित ना हों
डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ	-	संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष
श्री सज्जन सिंह वर्मा	-	लोक निर्माण तथा पर्यावरण
श्री हुकुम सिंह कराड़ा	-	जल संसाधन
डॉ. गोविन्द सिंह	-	सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन
श्री बाला बच्चन	-	गृह, जेल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा लोक सेवा प्रबंधन
श्री आरिफ अकील	-	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर	-	वाणिज्यिक कर
श्री प्रदीप जायसवाल	-	खनिज साधन
श्री लाखन सिंह यादव	-	पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
श्री तुलसी सिलावट	-	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
श्री गोविन्द सिंह राजपूत	-	राजस्व तथा परिवहन
श्रीमती इमरती देवी	-	महिला एवं बाल विकास

मंत्रिमंडल गठन

मंत्री		विभाग
श्री ओमकार सिंह मरकाम	-	जनजातीय कार्य, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण
श्री प्रभुराम चौधरी	-	स्कूल शिक्षा
श्री प्रियव्रत सिंह	-	ऊर्जा
श्री सुखदेव पांसे	-	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
श्री उमंग सिंघार	-	वन
श्री हर्ष यादव	-	कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
श्री जयवर्द्धन सिंह	-	नगरीय विकास एवं आवास
श्री जीतू पटवारी	-	खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा
श्री कमलेश्वर पटेल	-	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
श्री लखन घनघोरिया	-	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण
श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया	-	श्रम
श्री पी.सी. शर्मा	-	विधि एवं विधायी कार्य, जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और मुख्यमंत्री से संबद्ध
श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर	-	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
श्री सचिन सुभाष यादव	-	किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल	-	नर्मदा घाटी विकास तथा पर्यटन
श्री तरुण भनोट	-	वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी

वचन पत्र 2018

सत्ता का विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज

- पंचायती राज को मूल रूप से लागू करेंगे।
- ''लोगों की सरकार'', ''लोग ही सरकार'' के सिद्धांत पर आधारित होगी।
- पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के दुरुपयोग को रोकेंगे।
- PESA कानून लागू करेंगे।
- पंचों को 500 रुपये, जनपद सदस्य को 1000 रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य को 1500 रुपये का बैठक भत्ता देंगे।
- सरपंचों को निर्माण कार्य एवं मरम्मत के कार्यों के अधिकारों में वृद्धि करेंगे।
- पंचायत सचिवों का पंचायत विभाग में संविलियन करेंगे।
- सीईओ, जनपदों के लिए जिला पंचायत में 50 प्रतिशत पद सुनिश्चित करेंगे।
- बीपीएल सर्वे पुन: कराएंगे, ताकि पात्र लोग वंचित न रहें।

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् के
सदस्यों का परिचय

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद श्री कमल नाथ ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 28 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। सभी 28 मंत्रियों को राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश के नवनियुक्त मंत्रियों का संक्षिप्त जीवन परिचय :

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ का जन्म 13 नवम्बर, 1955 को खरगोन जिले के मंडलेश्वर में हुआ। एमबीबीएस की शैक्षणिक योग्यता रखने वाली डॉ. साधौ की रुचि पर्यटन एवं वन्य-जीवन के क्षेत्र में भी है। डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ वर्ष 1985 में आठवीं विधान-सभा में पहली बार निर्वाचित हुईं। उन्हें अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, लोक लेखा और महिला एवं बाल कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही डॉ. साधौ मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल की तीन वर्ष तक संचालक भी रहीं हैं। उन्होंने वर्ष 1985 में मॉस्को में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1985 से 1993 के दौरान डॉ. साधौ मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस-आई की महामंत्री बनीं। दसवीं विधानसभा में निर्वाचित डॉ. साधौ पर्यटन, संस्कृति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति मंत्री भी रहीं। डॉ. साधौ 11वीं विधानसभा में भी वर्ष 1998 में निर्वाचित हुईं और नर्मदा घाटी विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री रहीं। डॉ. साधौ वर्ष 2008 में चौथी बार विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुईं। डॉ. साधौ ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर 22 जून, 2010 को विधानसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया। डॉ. साधौ वर्ष 2018 में 15वीं विधानसभा में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं।

श्री सज्जन सिंह वर्मा

श्री सज्जन सिंह वर्मा का जन्म इंदौर में हुआ। श्री वर्मा ने एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री वर्मा प्रारंभ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध रहे हैं। सन् 1977 में वे इंदौर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। वर्ष 1983 में नगर निगम इंदौर के पार्षद, वर्ष 1985 में आठवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। श्री वर्मा वर्ष 1998 में दूसरी बार विधानसभा में निर्वाचित हुये। नवम्बर 1997 से नवम्बर 1998 तक लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष भी रहे। श्री वर्मा 1998 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद 1998 से 2003 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे। वे 2009 के लोकसभा चुनाव में देवास संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गये थे। श्री सज्जन सिंह वर्मा वर्ष 2018 में 15वीं विधानसभा के सदस्य चुने गये हैं।

डॉ. गोविन्द सिंह

डॉ. गोविन्द सिंह 2018 में 7वीं बार भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये हैं। डॉ. गोविन्द सिंह का जन्म एक जुलाई 1951 में भिंड जिले के ग्राम वैशपुरा में एक कृषक परिवार में हुआ। डॉ. सिंह छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बी.ए. और इसके बाद शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर से बी.ए.एम.एस. की डिग्री प्राप्त की। डॉ. सिंह वर्ष 1979 से 1982 तथा वर्ष 1984-85 में सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, लहार के अध्यक्ष निर्वाचित हुये। डॉ. गोविन्द सिंह वर्ष 1984 से 1986 तक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक भिंड के संचालक, वर्ष 1985 से 1987 तक नगर

पालिका परिषद् लहार के अध्यक्ष पद पर रहे।

डॉ. गोविन्द सिंह सन् 1990 में पहली बार 9वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। इसके बाद वे वर्ष 1993 में दसवीं विधानसभा, वर्ष 1998 में 11वीं विधानसभा, वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा, वर्ष 2008 में 13वीं विधानसभा, वर्ष 2013 में चौदहवीं विधानसभा तथा वर्ष 2018 में पंद्रहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

डॉ. सिंह वर्ष 1997 में उत्कृष्ट विधायक चुने गये। वर्ष 1998 में ग्यारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने पर वे 6 दिसम्बर 1998 से राज्यमंत्री गृह, 26 अप्रैल 2000 से राज्यमंत्री सहकारिता (स्वतंत्र प्रभार) तथा 12 अगस्त 2002 से मंत्री सहकारिता विभाग रहे।

डॉ. सिंह 10 जनवरी 2001 से 9 फरवरी 2002 तक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के संचालक, 10 दिसम्बर 2001 से 2 जनवरी 2002 तक म.प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संचालक, 28 मार्च 2002 को म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष बने। डॉ. सिंह वर्ष 2005 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, 24 मार्च 2008 से वर्तमान तक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर रहे। डॉ. सिंह सन् 2003 में बारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये एवं कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे। सन् 2008 में तेरहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने पर वर्ष 2009 से 2011 तक सभापति लोक लेखा समिति विधानसभा रहे। डॉ. सिंह वर्ष 2013 में छठवीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये।

श्री हुकुम सिंह कराड़ा

स्वर्गीय श्री देवीसिंह कराड़ा के पुत्र श्री हुकुम सिंह कराड़ा का जन्म 02 अप्रैल, 1957 को ग्राम शादीपुरा, जिला-शाजापुर में हुआ। दो पुत्र और तीन पुत्रियों के पिता श्री कराड़ा की शैक्षणिक योग्यता बी.ए. है। व्यवसाय से कृषक श्री कराड़ा की अभिरुचि समाज-सेवा है।

श्री कराड़ा का सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन ग्राम पंचायत शादीपुरा के सरपंच पद से शुरू हुआ। वे वर्ष 1983 में जनपद पंचायत मोमन बड़ोदिया के अध्यक्ष और फिर जिला पंचायत शाजापुर के अध्यक्ष बने। वर्ष 1984-88 में जिला योजना मंडल शाजापुर के उपाध्यक्ष, जिला देवास और शाजापुर टेलीफोन सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। श्री कराड़ा वर्ष 1996-97 से जिला कांग्रेस कमेटी शाजापुर के अध्यक्ष रहे।

श्री कराड़ा वर्ष 1993 में दसवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और लोक लेखा, पुस्तकालय तथा गैस राहत एवं पुनर्वास विभागीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1998 में ग्यारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और ऊर्जा तथा खनिज साधन विभाग के मंत्री रहे। श्री कराड़ा वर्ष 2003 में तीसरी बार बारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। श्री कराड़ा वर्ष 2008 में चौथी बार और वर्ष 2018 में पाँचवीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये।

श्री बाला बच्चन

श्री बाला बच्चन का जन्म 13 जुलाई 1966 को कासेल, जिला बड़वानी में हुआ। श्री राम सिंह के पुत्र श्री बाला बच्चन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. किया है। पेशे से किसान श्री बच्चन की रुचि लॉन टेनिस में भी रही है।

श्री बाला बच्चन विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गये। वे मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के अनुसूचित थे जाति और जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही श्री बच्चन मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। श्री बच्चन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं।

श्री बाला बच्चन सन् 1993 में दसवीं विधानसभा और वर्ष 1998 में ग्यारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। श्री बच्चन को आदिम जाति कल्याण विभाग में राज्यमंत्री और बाद में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में खेल एवं युवक कल्याण की जिम्मेदारी दी गयी। श्री बाला बच्चन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे हैं।

श्री बाला बच्चन वर्ष 2008 में तेरहवीं विधानसभा के लिये निर्वाचित हुये। श्री बाला बच्चन वर्ष 2013 में चौथी बार और वर्ष 2018 में पाँचवीं बार विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये हैं।

श्री आरिफ अकील

श्री आरिफ अकील 15वीं विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 150 भोपाल उत्तर से निर्वाचित हुये हैं। श्री आरिफ अकील का जन्म भोपाल में 14 जनवरी 1952 को हुआ। एम.एससी., एम.ए., बी.एड. और एलएल.बी. शिक्षित श्री आरिफ अकील का व्यवसाय कृषि है। वर्ष 2018 में श्री अकील छठवीं बार

विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये हैं। श्री अकील ने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1972 में छात्र राजनीति से शुरू की। श्री अकील सेफिया महाविद्यालय भोपाल के छात्र संघ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष और बार काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। श्री अकील वर्ष 1995 से मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। इसके साथ ही श्री अकील भोपाल विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य, नागरिक बैंक के संचालक तथा कई अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष और संरक्षक भी रहे हैं। श्री अकील की अभिरुचियों में जनसेवा, खेल और कृषि कार्य प्रमुख हैं। श्री अकील वर्ष 1990 में नौवीं विधानसभा, 1998 में 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। उन्हें राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तदन्तर मंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभागों की जिम्मेदारी दी गई। श्री अकील सन् 2003 में 12वीं, सन् 2008 में 13वीं और 2013 में 14वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुये हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

15वीं विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र पृथ्वीपुर से पांचवीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर पुत्र स्व. श्री अमर सिंह राठौर का जन्म एक जनवरी, 1957 को पृथ्वीपुर में हुआ था। स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त श्री सिंह का मुख्य व्यवसाय कृषि और पेट्रोल पम्प है। श्री सिंह ने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की सक्रिय शुरुआत वर्ष 1982 में जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री के रूप में की। श्री सिंह वर्ष 1983-84 में जनपद अध्यक्ष और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक रहे हैं।

श्री सिंह वर्ष 1993 में पहली बार 10वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशिष्ट समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति (दो बार) के सदस्य रहे। श्री बृजेन्द्र सिंह विधायक क्लब, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की सलाहकार समिति और सागर विश्वविद्यालय के काउंसलिंग सदस्य भी रहे हैं। इसके साथ ही वे निर्माण समिति, इंजीनियरिंग कॉलेज सागर एवं चयन समिति आई.टी.आई. टीकमगढ़ के अध्यक्ष रहे हैं। श्री बृजेन्द्र सिंह वर्ष 1998 में दूसरी बार 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और प्राक्कलन समिति के सदस्य तथा शिवपुरी जाँच समिति के सभापति रहे। श्री बृजेन्द्र सिंह वर्ष 2003 में तीसरी बार 12वीं विधानसभा और वर्ष 2008 में चौथी बार 13वीं विधानसभा के सदस्य भी रहे।

श्री प्रदीप जायसवाल 'गुड्डा'

श्री प्रदीप जायसवाल 'गुड्डा' का जन्म 12 फरवरी 1965 को इलाहाबाद में हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त श्री जायसवाल का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खेलकूद में अभिरुचि रखने वाले श्री प्रदीप जायसवाल विभिन्न खेल एवं संस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी तथा जिला युवक कांग्रेस बालाघाट के अध्यक्ष रहे हैं।

श्री जायसवाल वर्ष 1998 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। वर्ष 2018 में 15वीं विधानसभा में श्री प्रदीप जायसवाल बालाघाट जिले के वारासिवनी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुये हैं।

श्री लाखन सिंह यादव

श्री लाखन सिंह यादव का जन्म 4 जून, 1964 को ग्राम पार, जिला ग्वालियर में हुआ। श्री लाखन सिंह यादव के पिता स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह यादव हैं। श्री यादव के दो पुत्र एवं एक पुत्री हैं। श्री यादव ने बी.एससी. (कृषि) की शिक्षा प्राप्त की है। उनका व्यवसाय कृषि है और अभिरुचि समाज-सेवा है। श्री लाखन सिंह यादव कृषि महाविद्यालय, जबलपुर की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। वर्ष 1998 में ग्यारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। वर्ष 1999 से लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि रहे। श्री यादव वर्ष 2008 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। श्री यादव वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पुन: विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये।

श्री तुलसीराम सिलावट

श्री तुलसीराम सिलावट का जन्म 05 नवम्बर 1954 को ग्राम पिवडाय, जिला इंदौर में हुआ। स्व. श्री ठाकुरदीन सिलावट के पुत्र श्री तुलसीराम सिलावट ने राजनीति शास्त्र से एम.ए. किया है। श्री सिलावट का व्यवसाय कृषि है। श्री सिलावट की समाज सेवा में विशेष रुचि है। श्री सिलावट वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के छात्र संघ अध्यक्ष रहे।

श्री सिलावट 1982 में नगर निगम इंदौर के पार्षद बने। श्री

सिलावट वर्ष 1985 में आठवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये एवं संसदीय सचिव रहे। श्री सिलावट दिसम्बर 2007 के उप चुनाव में बारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। वे वर्ष 2008 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन में श्री सिलावट साँवेर (अजा) विधानसभा से चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये।

श्री गोविन्द सिंह राजपूत

श्री गोविन्द सिंह राजपूत का जन्म 1 जुलाई, 1961 को सागर में हुआ। दो पुत्र और एक पुत्री के पिता श्री राजपूत के पिता स्वर्गीय श्री वीरसिंह राजपूत हैं। इनका व्यवसाय कृषि है और अभिरुचि खेल तथा साहित्य में है।

श्री राजपूत मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। श्री राजपूत को वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। वर्ष 1996 में श्री राजपूत ने जापान की यात्रा की। वे वर्ष 2003 में बारहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और कांग्रेस विधायक दल के सचेतक और प्राक्कलन, याचिका एवं सरकारी उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री राजपूत वर्ष 2008 में दूसरी बार और वर्ष 2018 में तीसरी बार सुरखी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्रीमती इमरती देवी

श्रीमती इमरती देवी का जन्म 14 अप्रैल 1975 को जिला दतिया के ग्राम चरबरा में हुआ। हायर सेकेण्ड्री तक शिक्षा प्राप्त श्रीमती इमरती देवी का मुख्य व्यवसाय कृषि है। श्रीमती इमरती देवी की महिला उत्थान, समाज-सेवा, पर्यटन-स्थलों के भ्रमण में विशेष रुचि है।

श्रीमती इमरती देवी वर्ष 1997-2000 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी ग्वालियर की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहीं। वर्ष 2002-2005 में जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं किसान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री, वर्ष 2004-2009 में जिला पंचायत ग्वालियर की सदस्य, कृषि उपज मंडी ग्वालियर की संचालक एवं सदस्य रहीं।

श्रीमती इमरती देवी वर्ष 2008 में 13वीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। वर्ष 2008 से 2011 तक पुस्तकालय समिति की सदस्य तथा वर्ष 2011 से 2014 तक महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सदस्य रहीं। श्रीमती इमरती देवी वर्ष 2013 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुईं। वर्ष 2018 में तीसरी बार 15वीं विधानसभा में जिला ग्वालियर के डबरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं।

श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्री ओमकार सिंह मरकाम का जन्म डिण्डोरी जिले के ग्राम बरनई में 2 मई, 1976 को हुआ। स्व. श्री ननकू सिंह मरकाम के पुत्र श्री ओमकार सिंह मरकाम ने समाज-शास्त्र में एम.ए. किया है। पेशे से किसान श्री ओमकार सिंह की रुचि सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज-सुधार और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से रही है।

श्री ओमकार सिंह मरकाम वर्ष 1996 से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस समिति के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 1998 से वर्ष 2002 के दौरान आदिवासी विकास परिषद् में पदाधिकारी के रूप में बखूबी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। श्री मरकाम वर्ष 2008 में 13वीं विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये। वे वर्ष 2013 में दूसरी बार और वर्ष 2018 में तीसरी बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

डॉ. प्रभुराम चौधरी

डॉ. प्रभुराम चौधरी का जन्म 15 जुलाई 1958 को ग्राम माला, जिला रायसेन में हुआ। श्री बालमुकन्द चौधरी के पुत्र डॉ. प्रभुराम चौधरी ने एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त की है। डॉ. चौधरी का व्यवसाय कृषि एवं व्यापार है। डॉ. चौधरी की खेल में विशेष रुचि है। डॉ. चौधरी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के 'गेम्स एवं स्पोर्ट्स' सेक्रेटरी और वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे।

डॉ. चौधरी वर्ष 1985 में

पहली बार आठवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और वर्ष 1989 में संसदीय सचिव रहे। डॉ. चौधरी वर्ष 1991 में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य, वर्ष 1996 में संयुक्त सचिव और वर्ष 1998 में महामंत्री बने। डॉ. चौधरी वर्ष 1994 में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रभाग के संयोजक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। डॉ. चौधरी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, रायसेन के सदस्य और वर्ष 2004 में जिला पंचायत रायसेन के सदस्य रहे।

डॉ. चौधरी वर्ष 2008 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। वर्ष 2008 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डॉ. चौधरी साँची विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिये तीसरी बार निर्वाचित हुये।

श्री प्रियव्रत सिंह

राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील निवासी श्री प्रियव्रत सिंह का जन्म 5 दिसम्बर 1977 को इन्दौर में हुआ। आपके पिता का नाम स्व. श्री भारतेन्द्र सिंह है। बी. कॉम. तक शिक्षा प्राप्त श्री प्रियव्रत सिंह का व्यवसाय कृषि है।

श्री सिंह जिला राजपूत संगठन एवं श्री कृष्ण गौशाला खिलचीपुर के संरक्षक रहे हैं। श्री सिंह सन् 2003 में पहली बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और नियम एवं आश्वासन समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह वर्ष 2008 में खिलचीपुर क्षेत्र से दूसरी बार और वर्ष 2018 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्री सुखदेव पांसे

श्री सुखदेव पांसे का जन्म 11 नवम्बर, 1968 को मंगोनाकलां, जिला बैतूल में हुआ। स्व. श्री बसंत राव पांसे के पुत्र श्री सुखदेव पांसे ने एम.ए. और एलएल.बी. (एडव्होकेट) तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री सुखदेव पांसे का व्यवसाय कृषि है। श्री पांसे की सांस्कृतिक गतिविधियों में विशेष रुचि है।

श्री सुखदेव पांसे वर्ष 1985 में छात्र जीवन में स्काउट के रूप में राज्यपाल अवॉर्ड से सम्मानित हुये। श्री पांसे वर्ष 1991 में शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में खेल सचिव और वर्ष 1992-93 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। श्री पांसे वर्ष 2002 में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बैतूल के संचालक बने। श्री पांसे वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री पांसे वर्ष 2008 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। विधानसभा निर्वाचन 2018 में श्री पांसे मुलताई क्षेत्र से तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्री उमंग सिंघार

श्री उमंग सिंघार का जन्म 23 जनवरी, 1974 को धार जिले में हुआ। स्व. श्री दयाराम सिंघार के पुत्र श्री उमंग सिंघार ने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री सिंघार की खेल, संगीत एवं टीवी शो में विशेष रुचि है। श्री सिंघार वर्ष 2008 में प्रथम बार गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। वे वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन में गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से ही विधानसभा के लिये दूसरी बार निर्वाचित हुये हैं।

श्री हर्ष यादव

श्री हर्ष यादव पिता स्व. श्री बैनीप्रसाद यादव का जन्म 31 मई, 1961 को सागर जिले की देवरी तहसील के ग्राम रसेना में कृषक परिवार में हुआ। श्री यादव ने एम.ए., एलएल.बी. तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही खेल और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बनाये रखी है। वॉलीबॉल और बॉस्केटबाल जैसे खेलों में इनकी विशेष रुचि रही है।

श्री हर्ष यादव छात्र जीवन में सन् 1982-83 में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर के छात्रसंघ सचिव, सन् 2000-05 में जनपद पंचायत देवरी के अध्यक्ष रहे। श्री यादव वर्ष 2018 में दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से देवरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य चुने गये। इसके पूर्व सन् 2013 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री जयवर्द्धन सिंह

श्री जयवर्द्धन सिंह का जन्म 9 जुलाई 1986 को जिला गुना के राघौगढ़ में हुआ। श्री सिंह की प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल, देहरादून से

हुई। इसके बाद उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली से बी.कॉम. ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लोक प्रशासन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। श्री सिंह का मुख्य व्यवसाय कृषि है।

श्री जयवर्द्धन सिंह वर्ष 2013 में पहली बार राघौगढ़ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। श्री सिंह वर्ष 2018 में 15वीं विधानसभा में जिला गुना के राघौगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार निर्वाचित हुये हैं।

श्री जीतू पटवारी

श्री जीतू पटवारी पुत्र श्री रमेशचन्द पटवारी का जन्म 19 नवम्बर 1974 को इंदौर में हुआ। श्री जीतू पटवारी एक पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता हैं।

श्री जीतू पटवारी का जन्म कृषक परिवार में हुआ है। श्री पटवारी ने बी.ए., एलएल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की है।

श्री पटवारी सन् 2018 में इंदौर जिले की राऊ विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये हैं। पहली बार श्री पटवारी 2013 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री कमलेश्वर पटेल

श्री कमलेश्वर पटेल का जन्म 1 मई, 1974 को सीधी में हुआ। इनके पिता स्व. श्री इन्द्रजीत कुमार मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रहे। एक पुत्र और एक पुत्री के पिता श्री पटेल ने बी.ए., एलएल.बी. तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री पटेल वर्ष 2013 में पहली बार सिंहावल विधानसभा क्षेत्र से और वर्ष 2018 में इसी क्षेत्र से दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। श्री पटेल वर्ष 1992 से 1994 तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस (एनएसयूआई) के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वे वर्ष 1996 से 1998 तक एनएसयूआई के राष्ट्रीय सदस्य भी रहे हैं। श्री पटेल 10 मार्च 1999 से 5 फरवरी 2001 तक यूथ कांग्रेस, मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही वे 8 अगस्त 2003 से 13 अगस्त 2005 तक अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के सचिव रहे, 13 अगस्त 2005 से 17 जनवरी 2009 तक महासचिव भी रह चुके हैं। श्री पटेल को 5 फरवरी 2001 से 8 अगस्त 2003 तक अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस की अन्य पिछड़ा वर्ग इकाई का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। श्री पटेल मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

श्री लखन सिंह घनघोरिया

श्री लखन सिंह घनघोरिया का जन्म 1 मार्च, 1959 को जबलपुर जिले में हुआ। श्री घनघोरिया के पिता श्री शिवलाल घनघोरिया हैं। इन्होंने बी.एससी. और एलएल.बी. तक शिक्षा प्राप्त की है। इनका व्यवसाय ठेकेदारी है। इनकी अभिरुचि अध्ययन और समाज सेवा में है। श्री घनघोरिया 360 गोत्रीय खटीक समाज मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष, जबलपुर क्लब के सदस्य रहे। वर्तमान में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रतिनिधि हैं।

श्री घनघोरिया वर्ष 2008 में प्रथम बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये तथा वर्ष 2018 में विधानसभा निर्वाचन में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया का जन्म 30 अगस्त 1962 को गुना में हुआ। श्री सिसोदिया ने बी.एससी., द्वितीय वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण की है। व्यवसाय से कृषक श्री सिसोदिया की पर्यटन और खेल-कूद में विशेष रुचि है। श्री सिसोदिया वर्ष 2013 में गुना जिले के बामोरी (28) विधानसभा क्षेत्र से पहली बार और वर्ष 2018 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्री पी.सी. शर्मा

श्री पी.सी. शर्मा पुत्र स्व. श्री मांगीलाल शर्मा का जन्म 1948 को हरसूद मध्यप्रदेश में हुआ था। बी.ई. शिक्षा प्राप्त श्री शर्मा का व्यवसाय उद्योग और कृषि है।

श्री शर्मा ने सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन की शुरुआत नगर निगम भोपाल में पार्षद पद से की। भोपाल नगर निगम में पार्षद और निगम की कई समितियों के सदस्य और अध्यक्ष रहे। श्री

शर्मा मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल के संचालक, मध्यप्रदेश पार्षद, पर्यावरण मंच के सहयोजक, मध्यप्रदेश झुग्गी-झोपड़ी आवासहीन मजदूर महासंघ के संरक्षक और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे।

श्री पी.सी. शर्मा सन् 1998 में पहली बार भोपाल दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये और विशेषाधिकार समिति के सभापति बने। श्री शर्मा वर्ष 2018 में 15वीं विधानसभा के लिये भोपाल दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी, 1968 को ग्राम नावी तहसील अम्बाह, जिला मुरैना में हुआ। श्री तोमर के पिता स्व. श्री हाकिम सिंह तोमर हैं। श्री तोमर ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री तोमर की अभिरुचि जनसेवा है।

श्री तोमर ने राजनीति की शुरुआत वर्ष 1984 से की। वे वर्ष 2008 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये।

श्री तोमर संयोजक जनकल्याण संघर्ष समिति, ग्वालियर, संभागीय संयोजक कौमी एकता कमेटी, सचिव म.प्र. युवक कांग्रेस, उपाध्यक्ष म.प्र. युवक कांग्रेस, प्रदेश प्रतिनिधि म.प्र. कांग्रेस, उप संयोजक बाजार समिति मेला ग्वालियर, प्रदेश समन्वयक (आम आदमी का सिपाही) के पद पर रहे। श्री तोमर वर्ष 2018 के विधानसभा आम निर्वाचन में पुन: सदस्य निर्वाचित हुये।

श्री सचिन यादव

श्री सचिन यादव का जन्म 10 जनवरी 1982 को खरगोन में हुआ। श्री यादव के पिता स्वर्गीय श्री सुभाष यादव मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। बी.कॉम. तक शिक्षा प्राप्त श्री सचिन यादव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनकी अभिरुचि क्रिकेट खेल में है।

वर्ष 2013 में श्री सचिन यादव पहली बार कसरावद विधानसभा क्षेत्र से और वर्ष 2018 में इसी क्षेत्र से दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल

श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल का जन्म 17 मार्च 1977 को बड़ौदा (गुजरात) में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह बघेल है। एम.बी.ए. मार्केटिंग तक शिक्षा प्राप्त श्री बघेल का व्यवसाय कृषि और व्यापार है। ग्रामीण विकास, सामाजिक कार्य, साहित्य अध्ययन, बॉस्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में आपकी अभिरुचि है।

श्री बघेल वर्ष 1994 में एन.सी.सी. एयर विंग बेस्ट कैडेट चुने गये। वर्ष 1996 में स्कूल बॉस्केटबाल टीम का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। श्री बघेल वर्ष 2008 में मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव और धार जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वर्ष 2011 में श्री बघेल युवा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। श्री बघेल वर्ष 2013 में कुक्षी निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार और वर्ष 2018 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

श्री तरुण भनोट

श्री तरुण भनोट का जन्म 15 दिसम्बर, 1971 को जबलपुर में हुआ। श्री भनोट के पिता स्व. श्री के.ए. भनोट हैं। श्री भनोट वर्ष 2013 में पहली बार जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये। श्री भनोट वर्ष 2018 में लगातार दूसरी बार इसी निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं।

दो पुत्रों के पिता श्री तरुण भनोट ने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुये सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। श्री भनोट की लिखने-पढ़ने के साथ खेलों, विशेषकर क्रिकेट और टेबिल टेनिस में विशेष रुचि है।

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2018

इंडियन नेशनल कांग्रेस को 114 और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिलीं

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो गये हैं। प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान हुआ और 11 दिसंबर को मतगणना सम्पन्न हुई। विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सर्वाधिक 114 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, वहीं 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने वाले उम्मीदवारों की सूची 'पंचायिका' में प्रकाशित की जा रही है।

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित उम्मीदवार	दल
1.	श्योपुर	बाबू जन्डेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2.	विजयपुर	सीताराम	भारतीय जनता पार्टी
3.	सबलगढ़	बैजनाथ कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4.	जौरा	बनवारी लाल शर्मा (जापथाप)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5.	सुमावली	एदल सिंह कंषाना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6.	मुरैना	रघुराज सिंह कंषाना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7.	दिमनी	गिर्राज डण्डौतिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8.	अम्बाह (अजा)	कमलेश जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9.	अटेर	अरविंद सिंह भदौरिया	भारतीय जनता पार्टी
10.	भिण्ड	संजीव सिंह 'संजू'	बहुजन समाज पार्टी
11.	लहार	डॉ. गोविन्द सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12.	मेहगांव	ओ.पी.एस. भदौरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13.	गोहद (अजा)	रणवीर जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14.	ग्वालियर ग्रामीण	भारत सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
15.	ग्वालियर	प्रद्युम्न सिंह तोमर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16.	ग्वालियर पूर्व	मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17.	ग्वालियर दक्षिण	प्रवीण पाठक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18.	भितरवार	लाखन सिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19.	डबरा (अजा)	इमरती देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20.	सेवढ़ा	घनश्याम सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21.	भाण्डेर (अजा)	रक्षा संतराम सरौनिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22.	दतिया	डॉ. नरोत्तम मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
23.	करेरा (अजा)	जसमंत जाटव छितरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24.	पोहरी	सुरेश धाकड़ (राठखेड़ा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25.	शिवपुरी	यशोधरा राजे सिंधिया	भारतीय जनता पार्टी
26.	पिछोर	के.पी. सिंह कक्काजू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27.	कोलारस	बीरेन्द्र रघुवंशी	भारतीय जनता पार्टी
28.	बामोरी	महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29.	गुना (अजा)	गोपीलाल जाटव	भारतीय जनता पार्टी
30.	चाचौड़ा	लक्ष्मण सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31.	राघोगढ़	जयवर्द्धन सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32.	अशोकनगर (अजा)	जजपाल सिंह 'जज्जी'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33.	चंदेरी	गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
34.	मुंगावली	ब्रजेन्द्र सिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
35.	बीना (अजा)	महेश राय	भारतीय जनता पार्टी
36.	खुरई	भूपेन्द्र भैया	भारतीय जनता पार्टी
37.	सुरखी	गोविन्द्र सिंह राजपूत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38.	देवरी	हर्ष यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39.	रहली	गोपाल भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
40.	नरयावली (अजा)	इंजी. प्रदीप लारिया	भारतीय जनता पार्टी
41.	सागर	शैलेन्द्र जैन	भारतीय जनता पार्टी
42.	बण्डा	तरबर सिंह (बंटू भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
43.	टीकमगढ़	राकेश गिरि	भारतीय जनता पार्टी
44.	जतारा (अजा)	खटीक हरिशंकर	भारतीय जनता पार्टी
45.	पृथ्वीपुर	ब्रजेन्द्र सिंह राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
46.	निवाड़ी	अनिल जैन	भारतीय जनता पार्टी
47.	खरगापुर	राहुल सिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
48.	महाराजपुर	नीरज विनोद दीक्षित	इंडियन नेशनल कांग्रेस
49.	चांदला (अजा)	राजेश कुमार प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
50.	राजनगर	विक्रम सिंह (नाती राजा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
51.	छतरपुर	आलोक चतुर्वेदी (पज्जन भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
52.	बिजावर	राजेश शुक्ला (बब्लु भैया)	समाजवादी पार्टी
53.	मलहरा	कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी (मुन्ना भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
54.	पथरिया	रामबाई गोविंद सिंह	बहुजन समाज पार्टी
55.	दमोह	राहुल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
56.	जबेरा	धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
57.	हटा (अजा)	पुरुषोत्तम/रामकली तंतुवाय हटा	भारतीय जनता पार्टी
58.	पवई	प्रहलाद लोधी	भारतीय जनता पार्टी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित उम्मीदवार	दल
59.	गुन्नौर (अजा)	शिवदयाल बागरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
60.	पन्ना	ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
61.	चित्रकूट	नीलांशु चतुर्वेदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
62.	रैगांव (अजा)	जुगुल किशोर बागरी	भारतीय जनता पार्टी
63.	सतना	डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
64.	नागौद	नागेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
65.	मैहर	नारायण त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
66.	अमरपाटन	रामखेलावन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
67.	रामपुर-बघेलान	विक्रम सिंह (विक्की)	भारतीय जनता पार्टी
68.	सिरमौर	दिव्यराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
69.	सेमरिया	के.पी. त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
70.	त्यौंथर	श्याम लाल द्विवेदी	भारतीय जनता पार्टी
71.	मऊगंज	प्रदीप पटेल	भारतीय जनता पार्टी
72.	देवतालाब	गिरीश गौतम	भारतीय जनता पार्टी
73.	मनगवाँ (अजा)	पंचूलाल प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
74.	रीवा	राजेन्द्र शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
75.	गुढ़	नागेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
76.	चुरहट	शरदेन्दु तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
77.	सीधी	केदार नाथ शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
78.	सिहावल	कमलेश्वर इन्द्रजीत कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
79.	चितरंगी (अजजा)	अमर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
80.	सिंगरौली	रामलल्लू वैश्य	भारतीय जनता पार्टी
81.	देवसर (अजा)	सुभाष रामचरित्र	भारतीय जनता पार्टी
82.	धौहानी (अजजा)	कुँवर सिंह टेकाम	भारतीय जनता पार्टी
83.	ब्यौहारी (अजजा)	कोल शरद जुगलाल	भारतीय जनता पार्टी
84.	जयसिंहनगर (अजजा)	जयसिंह मरावी	भारतीय जनता पार्टी
85.	जैतपुर (अजजा)	मनीषा सिंह	भारतीय जनता पार्टी
86.	कोतमा	सुनील सराफ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
87.	अनूपपुर (अजजा)	बिसाहूलाल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
88.	पुष्पराजगढ़ (अजजा)	फुन्देलाल सिंह मार्को	इंडियन नेशनल कांग्रेस
89.	बांधवगढ़ (अजजा)	शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
90.	मानपुर (अजजा)	मीना सिंह	भारतीय जनता पार्टी
91.	बड़वारा (अजजा)	विजयराघवेन्द्र सिंह (बसंत सिंह)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
92.	विजयराघवगढ़	संजय सत्येन्द्र पाठक	भारतीय जनता पार्टी
93.	मुड़वारा	संदीप श्री प्रसाद जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
94.	बहोरीबंद	प्रणय प्रभात पांडे (गुड्डू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
95.	पाटन	अजय विश्नोई	भारतीय जनता पार्टी
96.	बरगी ''सिवनी टोला''	संजय यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
97.	जबलपुर पूर्व (अजा)	लखन घनघोरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
98.	जबलपुर उत्तर	विनय सक्सेना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
99.	जबलपुर केंट	अशोक ईश्वरदास रोहाणी	भारतीय जनता पार्टी
100.	जबलपुर पश्चिम	तरुण भनोत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
101.	पनागर	सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया)	भारतीय जनता पार्टी
102.	सिहोरा (अजजा)	नंदनी मरावी	भारतीय जनता पार्टी
103.	शहपुरा (अजजा)	भूपेन्द्र मरावी (बबलू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
104.	डिण्डोरी (अजजा)	ओमकार सिंह मरकाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
105.	बिछिया (अजजा)	नारायण सिंह पट्टा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
106.	निवास (अजजा)	डॉ. अशोक मर्सकोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
107.	मण्डला (अजजा)	देवसिंह सैयाम	भारतीय जनता पार्टी
108.	बैहर (अजजा)	संजय उइके	इंडियन नेशनल कांग्रेस
109.	लांजी	हिना लिखीराम कावरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
110.	परसवाड़ा	रामकिशोर (नानो) कावरे	भारतीय जनता पार्टी
111.	बालाघाट	गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन	भारतीय जनता पार्टी
112.	वारासिवनी	प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा)	निर्दलीय
113.	कटंगी	टामलाल रघुजी सहारे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
114.	बरघाट (अजजा)	अर्जुन सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
115.	सिवनी	दिनेश राय मुनमुन	भारतीय जनता पार्टी
116.	केवलारी	राकेश पाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
117.	लखनादौन (अजजा)	योगेन्द्र सिंह 'बाबा'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
118.	गोटेगांव (अजा) (एन.पी.)	नर्मदा प्रसाद प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
119.	नरसिंहपुर	जालम सिंह पटैल 'मुन्ना भैया'	भारतीय जनता पार्टी
120.	तेंदूखेड़ा	संजय शर्मा 'संजू भैया'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
121.	गाडरवारा	सुनीता पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
122.	जुन्नारदेव (अजजा)	सुनील उईके	इंडियन नेशनल कांग्रेस
123.	अमरवाड़ा (अजजा)	कमलेश प्रताप शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
124.	चौरई	चौधरी सुजीत मेर सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
125.	सौंसर	विजय रेवनाथ चोरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
126.	छिंदवाड़ा	दीपक सक्सेना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
127.	परासिया (अजा)	सोहनलाल बाल्मीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
128.	पांढुर्ना (अजजा)	निलेश पुसाराम उईके	इंडियन नेशनल कांग्रेस
129.	मुलताई	सुखदेव पांसे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
130.	आमला (अजा)	डॉ. योगेश पंडाग्रे	भारतीय जनता पार्टी
131.	बैतूल	निलय विनोद डागा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
132.	घोड़ाडोंगरी (अजजा)	ब्रम्हा भलावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
133.	भैंसदेही (अजजा)	धरमूसिंग सिरसाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
134.	टिमरनी (अजजा)	संजय शाह 'मकड़ाई'	भारतीय जनता पार्टी
135.	हरदा	कमल पटेल	भारतीय जनता पार्टी
136.	सिवनी-मालवा (बघवाड़ा)	प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
137.	होशंगाबाद	डॉ. सीतासरण शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
138.	सोहागपुर	विजयपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी

विधानसभा निर्वाचन

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित उम्मीदवार	दल
139.	पिपरिया (अजा)	ठाकुरदास नागवंशी	भारतीय जनता पार्टी
140.	उदयपुरा	देवेन्द्रसिंह पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
141.	भोजपुर	सुरेन्द्र पटवा	भारतीय जनता पार्टी
142.	सांची (अजा)	डॉ. प्रभुराम चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
143.	सिलवानी	रामपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
144.	विदिशा	शशांक श्रीकृष्ण भार्गव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
145.	बासौदा	लीना संजय जैन ''टप्पू''	भारतीय जनता पार्टी
146.	कुरवाई (अजा)	हरि सिंह सप्रे	भारतीय जनता पार्टी
147.	सिरोंज	उमाकांत शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
148.	शमशाबाद	राजश्री रूद्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
149.	बैरसिया (अजा)	विष्णु खत्री	भारतीय जनता पार्टी
150.	भोपाल उत्तर	आरिफ अकील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
151.	नरेला	विश्वास सारंग	भारतीय जनता पार्टी
152.	भोपाल दक्षिण-पश्चिम	पी.सी. शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
153.	भोपाल मध्य	आरिफ मसूद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
154.	गोविन्दपुरा	कृष्णा गौर	भारतीय जनता पार्टी
155.	हुजूर	रामेश्वर शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
156.	बुधनी	शिवराज सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
157.	आष्टा (अजा)	रघुनाथसिंह मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
158.	इछावर	करण सिंह वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
159.	सीहोर	सुदेश राय	भारतीय जनता पार्टी
160.	नरसिंहगढ़	राजवर्धन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
161.	ब्यावरा	गोवर्धन दाँगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
162.	राजगढ़	बापूसिंह तंवर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
163.	खिलचीपुर	प्रियव्रत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
164.	सारंगपुर (अजा)	कुंवरजी कोठार	भारतीय जनता पार्टी
165.	सुसनेर	विक्रम सिंह राणा गुड्डु भैया	निर्दलीय
166.	आगर (अजा)	मनोहर ऊंटवाल	भारतीय जनता पार्टी
167.	शाजापुर	करार हुकुमसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
168.	शुजालपुर	इन्दर सिंह परमार	भारतीय जनता पार्टी
169.	कालापीपल	कुणाल चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
170.	सोनकच्छ (अजा)	सज्जन सिंह वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
171.	देवास	गायत्री राजे पवार	भारतीय जनता पार्टी
172.	हाटपिपल्या	मनोज नारायण सिंह चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
173.	खातेगांव	आशीष गोविन्द शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
174.	बागली (अजजा)	कन्नौजे पहाड़सिंह	भारतीय जनता पार्टी
175.	मांधाता	नारायण पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
176.	हरसूद (अजजा)	कुंवर विजय शाह	भारतीय जनता पार्टी
177.	खण्डवा (अजा)	देवेन्द्र वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
178.	पंधाना (अजजा)	राम दांगोरे	भारतीय जनता पार्टी
179.	नेपानगर (अजजा)	सुमित्रा देवी कास्डेकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
180.	बुरहानपुर	ठा. सुरेन्द्रसिंह नवलसिंह 'शेरा भैया'	निर्दलीय

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित उम्मीदवार	दल
181.	भीकनगांव (अजजा)	झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
182.	बड़वाहा	सचिन बिरला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
183.	महेश्वर (अजा)	डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
184.	कसरावद	सचिन सुभाषचंद्र यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
185.	खरगौन	रवि रमेशचन्द्र जोशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
186.	भगवानपुरा (अजजा)	केदार चिडाभाई डावर	निर्दलीय
187.	सेंधवा (अजजा)	ब्यारसीलाल रावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
188.	राजपुर (अजजा)	बाला बच्चन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
189.	पानसेमल (अजजा)	चन्द्रभागा किराड़े	इंडियन नेशनल कांग्रेस
190.	बड़वानी (अजजा)	प्रेमसिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी
191.	अलीराजपुर (अजजा)	मुकेश रावत (पटेल)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
192.	जोबट (अजजा)	कलावती भूरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
193.	झाबुआ (अजजा)	गुमानसिंह डामोर	भारतीय जनता पार्टी
194.	थांदला (अजजा)	भूरिया वीरसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
195.	पेटलावद (अजजा)	मैड़ा वाल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
196.	सरदारपुर (अजजा)	प्रताप ग्रेवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
197.	गंधवानी (अजजा)	उमंग सिंघार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
198.	कुक्षी (अजजा)	सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
199.	मनावर (अजजा)	डॉ. हिरालाल अलावा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
200.	धरमपुरी (अजजा)	पांचीलाल मेड़ा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
201.	धार	नीना विक्रम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
202.	बदनावर	राजवर्धनसिंह-प्रेमसिंह दत्तीगांव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
203.	देपालपुर	विशाल जगदीश पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
204.	इंदौर-1	संजय शुक्ला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
205.	इंदौर-2	रमेश मेन्दोला	भारतीय जनता पार्टी
206.	इंदौर-3	आकाश कैलाश विजयवर्गीय	भारतीय जनता पार्टी
207.	इंदौर-4	मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़	भारतीय जनता पार्टी
208.	इंदौर-5	महेन्द्र हार्डिया	भारतीय जनता पार्टी
209.	डॉ. अम्बेडकर नगर- महू	उषा ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
210.	राउ	जितु पटवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
211.	सांवेर (अजा)	तुलसीराम सिलावट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
212.	नागदा-खाचरोद	दिलीप गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
213.	महिदपुर	बहादुरसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
214.	तराना (अजा)	महेश परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
215.	घट्टिया (अजा)	रामलाल मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
216.	उज्जैन उत्तर	पारस जैन	भारतीय जनता पार्टी
217.	उज्जैन दक्षिण	डॉ. मोहन यादव	भारतीय जनता पार्टी
218.	बड़नगर	मुरली मोरवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
219.	रतलाम ग्रामीण (अजजा)	दिलीप कुमार मकवाना	भारतीय जनता पार्टी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित उम्मीदवार	दल
220.	रतलाम सिटी	चेतन्य काश्यप	भारतीय जनता पार्टी
221.	सैलाना (अजजा)	हर्ष विजय गेहलोत 'गुड्डू'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
222.	जावरा	राजेन्द्र पाण्डेय 'राजू भैय्या'	भारतीय जनता पार्टी
223.	आलोट (अजा)	मनोज चावला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
224.	मंदसौर	यशपाल सिंह सिसौदिया	भारतीय जनता पार्टी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित उम्मीदवार	दल
225.	मल्हारगढ़ (अजा)	जगदीश देवडा	भारतीय जनता पार्टी
226.	सुवासरा	डंग हरदीपसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
227.	गरोठ	देवीलाल धाकड़ (एडव्होकेट)	भारतीय जनता पार्टी
228.	मनासा	अनिरुद्ध (माधव) मारू	भारतीय जनता पार्टी
229.	नीमच	दिलीप सिंह परिहार	भारतीय जनता पार्टी
230.	जावद	ओम प्रकाश सखलेचा	भारतीय जनता पार्टी

पात्र किसानों को कर्ज माफी का लाभ आसानी से मिले

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जायेगा। इस योजना में 31 मार्च 2018 तक के फसल ऋण माफ होंगे और 12 दिसम्बर 2018 तक ऋण चुकाने वाले किसान भी लाभान्वित होंगे। इस योजना में एक अप्रैल 2007 को और उसके बाद ऋण प्रदाता संस्था से लिये गये फसल ऋण को भी शामिल किया गया है। योजना में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों की कर्ज माफी योजना का मसौदा इस तरह से तैयार किया जाये कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद किसान इससे वंचित न रहे। किसानों की कर्ज माफी पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रमुख सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा अधिकारियों को दिये गये निर्देश के बाद मंत्रिपरिषद् की बैठक में किसानों की कर्ज माफी योजना को मंजूरी दी गयी।

61 लाख 20 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ

बैठक में बताया गया कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसानों को कृषि कर्ज माफी का लाभ दिया जायेगा। इसमें 2 लाख रुपये तक के कालातीत कृषि ऋण को माफ किया जायेगा। इससे प्रदेश के 61 लाख 20 हजार किसान लाभान्वित होंगे और करीब कुल 62 हजार 294 करोड़ रुपये राशि के कर्ज में से प्रत्येक किसान का दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जायेगा। इनमें राष्ट्रीयकृत, सहकारी और आरआरबी से लिये गये कृषि ऋण शामिल हैं। किसानों को सुविधा दिये जाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करने की सुविधा होगी।

अन्य राज्यों से बेहतर होगी योजना

मध्यप्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के लिये जो योजना तैयार की गई है, वह उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में लागू की गई योजना से बेहतर होगी। प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी अल्पकालीन फसल ऋण पर ही प्रदान की जायेगी।

कृषि ऋण माफी की कट ऑफ डेट 31 मार्च की जगह 30 नवम्बर करने पर विचार

मंत्रिपरिषद् की बैठक में कृषि ऋण बकाया के लिये 31 मार्च, 2018 के स्थान पर कट ऑफ डेट 30 नवम्बर, 2018 किये जाने पर भी विचार किया गया। जानकारी दी गई कि कालातीत बकायादारों की कर्ज माफी पर लाभान्वित किसान को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च, 2018 के चालू बकाया को 30 नवम्बर तक चुका दिया है, उनको प्रति हेक्टेयर सम्मान-निधि देने पर भी विचार किया गया।

बैठक में बताया गया कि कर्ज माफी अल्पकालीन फसल ऋण पर ही प्रदान की जाना है। कर्ज माफी के लिये राज्य शासन द्वारा देय राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से किसान के ऋण खाते में जमा की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड की ऋण खाते में सीडिंग अनिवार्य होगी। पहले चरण में लघु सीमांत किसान तथा सहकारी बैंकों के करंट आउटस्टैंडिंग लोन के भुगतान पर विचार किया जायेगा।

योजना में कालातीत ऋण, जो योजना मापदंडों में पात्र पाये गये हैं, उस राशि को बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

जानकारी दी गई कि एक अप्रैल, 2007 या उसके बाद लिये गये ऋण जो 31 मार्च, 2018 को कालातीत घोषित किये गये हों, उनको योजना में शामिल किया जायेगा। प्रदेश में 26 जनवरी, 2019 की ग्रामसभा में योजना की पात्रता सूचियां प्रस्तुत की जायेंगी।

लापरवाही और सुस्ती के प्रति राज्य सरकार अपनायेगी जीरो टॉलरेंस की नीति

जनसेवा राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व है। जनता को यह आभास होगा कि सरकार उनकी सेवा के लिये है। शासन में किसी भी प्रकार की लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके प्रति राज्य सरकार जीरो टॉलरेंट होगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद् और अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने निर्देश दिये कि जनहित के कार्य बिना हीला-हवाली के हों। नियमानुसार किये जा सकने वाले कार्य नियमित कार्यप्रणाली से सुनिश्चित किये जायें। मुख्यमंत्री के समक्ष केवल ऐसे विषय लाए जायें, जो नियमित व्यवस्था में नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विभाग के संचालन का दायित्व विभागीय मंत्री का होगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि वचन पत्र के समस्त बिंदुओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। विभाग इसके क्रियान्वयन की समयबद्ध कार्ययोजना बना लें। उन्होंने कहा कि नये नजरिये के साथ व्यवस्था को देखें। परिवर्तन और नवाचार के लिये यह आवश्यक है। उन्हें अमल करने का प्रयास करें। नियम-कायदों में केवल परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा।

पंच-परमेश्वर की धारणा को मजबूत करेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने किया पदभार ग्रहण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने 3 जनवरी 2019 को पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि मध्यप्रदेश में पंच-परमेश्वर की धारणा को मजबूत किया जायेगा। हितग्राही मूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। किसान, गरीब और मजदूर को अब भटकना नहीं पड़ेगा। वचन-पत्र में कही गयी बातों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

छिंदवाड़ा का विकास मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हो

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा के विकास मॉडल का अध्ययन कर जरूरत के अनुसार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बनायी जाये। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर व्यवस्थाएँ प्रशस्त करें।

मजदूरों का पलायन नहीं हो

श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि योजनाओं की सतत् मानीटरिंग की जाये। मजदूरों का पलायन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंच-परमेश्वर मद में राशि बढ़ाने पर भी विचार करें। प्रशिक्षण केन्द्रों की हालत सुधारें तथा प्रशिक्षण का कैलेण्डर बनायें। जनपद स्तर पर सम्मेलन कर योजनाओं की जानकारी दी जाये।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आँगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार के लिए 7 फैक्ट्रियाँ, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रारंभ की जा रही हैं। इसका लाभांश समूह की महिलाओं को ही दिया जायेगा।

हमारी लड़ाई आर्थिक बदहाली, कुपोषण, घटते रोज़गार अवसर और कम होते निवेश से है इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे

कठोर डगर की विरासत पर
सधे हुए कदमों से बढ़ेंगे हम ,
पूरे हौसले से सारी कठिनाइयों से लड़ेंगे हम,
सुशासन की एक-एक सीढ़ियाँ गढ़ेंगे,
और कदम-दर-कदम
उस पर चढ़ेंगे हम -
चढ़ेंगे हम -

मैं ये मानता हूँ कि हमारे सामने आर्थिक संदर्भों में कई चुनौतियाँ हैं, मगर चुनौतियों को अवसर में बदलने का नाम ही मध्यप्रदेश है। हम इस कठोर डगर पर सधे हुए कदमों से चलेंगे।

हम जानते हैं कि बीते 15 वर्ष के इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लेंगे तो भविष्य हमें माफ़ नहीं करेगा। हमारी मान्यता है कि किये हुए काम अपना प्रचार ख़ुद करते हैं, इसलिए हम सिर्फ़ कोरी घोषणाओं से बचें और अपना सारा ध्यान काम पर लगाएँ।

मध्यप्रदेश के नागरिकों ने नई सरकार को बदलाव के लिये चुना है। ये बदलाव सुशासन के लिये है। बीते 24 दिनों में बदलाव की पदचाप सुनाई देने लगी है। हम सरकार में से 'मैं और मेरी' हटाकर 'हमारी सरकार' की भावना स्थापित करना चाहते हैं। अब हर नागरिक गर्व से कह सकता है, ''मैं भी सरकार हूँ''। हम सही मायने में सत्ता की कमान प्रदेश के नागरिकों को सौंपना चाहते हैं ।

विश्वास मानिए, जब भी सत्ता 'व्यक्ति केंद्रित' होती है, तो प्रजातंत्र को नुकसान पहुँचता है। इसमें सामूहिकता का बोध होना चाहिए। पक्ष, प्रतिपक्ष और जनता, सबका दायित्व प्रजातंत्र ने निर्धारित किया है। हमारी मान्यता है कि सरकार ठीक काम करे, इसके लिये प्रतिपक्ष मज़बूत और

भारतीय सनातन संस्कृति में बेटियाँ देवियों का स्वरूप हैं। उनसे प्रेरणा ली गई है। आज क्या हम उन्हें प्रताड़ित होने दें? कतई नहीं। उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठा रहे हैं। उनके ससुराल जाने के वक्त 51 हज़ार रु. देकर पिता का फ़र्ज निभा रहे हैं। बेटियाँ खुशी मनाती हैं, तो तरक्की मुस्कुराती है।

ज़िम्मेदार होना चाहिये।

मैं ये साफ़ कर देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई प्रतिपक्ष के खिलाफ़ नहीं है। हम सब मिलकर मध्यप्रदेश की आर्थिक बदहाली, कुपोषण, अपराध, घटते रोज़गार के अवसर और कम होते औद्योगिक निवेश के खिलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब होंगे। हमारी प्राथमिकता में नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना भी है।

हमारे अन्नदाता भाइयों को कठिनाइयों से उबारना है। कर्ज माफ़ी स्थाई समाधान नहीं है। उनकी बहुत बड़ी अपेक्षाएँ नहीं हैं। वो सिर्फ़ अपनी फ़सलों के दाम चाहते हैं, ये हमें सुनिश्चित करना होगा।

भारतीय सनातन संस्कृति में बेटियाँ देवियों का स्वरूप हैं। उनसे प्रेरणा ली गई है। आज क्या हम उन्हें प्रताड़ित होने दें? कतई नहीं। उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठा रहे हैं। उनके ससुराल जाने के वक्त 51 हज़ार रु. देकर पिता का फ़र्ज निभा रहे हैं। बेटियाँ खुशी मनाती हैं, तो तरक्की मुस्कुराती है।

प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य युवाओं में निहित है। अगर उनको अवसर प्रदान किये जाएंगे, तो हम तरक्की की पायदान चढ़ते जाएंगे। ये तब ही संभव है जब मध्यप्रदेश में निवेश हो और वो सिर्फ़ बड़े आयोजनों से आकर्षित नहीं होगा। बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लाल फीता शाही ख़त्म कर लाल कारपेट बिछाने होंगे।

गौ माता के लिए गौ शाला हो, भगवान राम का वनगमन पथ या नर्मदा जैसी शास्त्रीय नदियों की अविरलता हो, हम अपने वचन-पत्र के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे।

हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश देश का वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी भाई रहते हैं और प्रदेश के विकास में भरपूर साथ देते हैं। अब बारी हमारी है उनका साथ निभाने की, उनकी खुशियाँ उन्हें लौटाने की। अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, हर वर्ग के हाथों में लेकर हाथ चलेंगे। हम सब साथ साथ करेंगे 'सिर्फ़ और सिर्फ़ सुशासन के लिए बदलाव की बात।'

मैं जब से चला हूँ, मेरी मंज़िल पर निगाह है। आज तक मैंने मील का पत्थर नहीं देखा।

(ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।)

गाँव हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनें

ग्रामीण उद्यमिता की हैं विश

मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने मध्यप्रदेश पंचायिका के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायत से जुड़े कई मुद्दों पर बेबाक चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण विकास ग्रामीण उद्यमिता और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विषयों पर खुलकर विचार रखे। प्रस्तुत हैं साक्षात्कार के अंश-

- **ग्रामीण विकास को लेकर आपकी क्या कल्पना है?**

●● देखिये, हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है। गांव का ख्याल आते ही एक ऐसी बसाहट का दृश्य उभरता है जहाँ कच्चे मकान हैं। घास-फूस से ढंकी छत है। संकरी गलियां हैं, गंदगी है, मवेशी घूमते-फिरते हैं। खेती-किसानी के सामान यहां-वहां बिखरे पड़े रहते हैं। बच्चे धूल में खेल रहे हैं। बरसात में कीचड़ ही कीचड़। सरकार की साफ-सुथरी सोच है कि हमारे गांव किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त ना हों। यहां जीवन की गुणवत्ता वैसी ही हो जैसी हम शहरों में देखते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पहली प्राथमिकता है। हम ऐसे आदर्श गांव की कल्पना करते हैं जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो।

- **लोगों में पंचायत राज के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। ग्राम सभा की बैठकों में उत्साह-जनक भागीदारी नहीं हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए आप क्या करेंगे?**

●● देखिये, पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिससे निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत होता है। ग्राम सभा गांव की संसद हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्राम सभा और पंचायतों के अधिकारों को लेकर कोई जागरण अभियान नहीं छेड़ा गया इसलिए शायद लोग समझते हैं कि यह भी एक ऐसी व्यवस्था है जो सामान्य व्यवस्था की तरह काम करती है। पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी लोगों में कम जानकारी दिखाई देती है, प्रशिक्षण का भी अभाव दिख रहा है। हमें पंचायत अधिकार साक्षरता कार्यक्रम भी चलाना पड़ेगा।

- **ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये ग्रामीण आजीविका मिशन एक अच्छी पहल है। क्या इसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है?**

●● जहां तक मुझे जानकारी है पहले ग्रामीण आजीविका परियोजना सात आदिवासी बहुल जिलों के करीब तीन सौ गांवों में शुरू हुई थी। इसे ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के अनुदान से स्वीकृत किया गया था। बाद में जब परियोजना का समय पूरा हो गया तो केन्द्र की डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया। पहले ग्राम सभा को क्रियान्यन की इकाई बनाया गया था और अब स्व-सहायता समूहों पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि स्व-सहायता समूहों की क्षमता निर्माण पर जितना धन खर्च किया गया है उसके मुकाबले क्या वे सक्षम हो पाये हैं? क्या सही दिशा में उनका प्रशिक्षण

ाल संभावनाएँ - श्री कमलेश्वर पटेल

हुआ है? क्या वे इतने आत्मनिर्भर हो गये हैं कि अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिये बैंकों से कर्जा ले सकें? ये सब बातें विस्तृत समीक्षा में पता चलेंगी। समीक्षा के बाद यदि जरूरत होगी तो क्रियान्वयन की पद्धतियों में बदलाव किया जा सकता है। अभी तक पिछले 15 सालों में स्व-सहायता समूहों का आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो पाया यह भी समझना होगा।

- **गांवों में रोज़गार निर्माण के लिये किसी योजना पर विचार करेंगे?**

●● गांवों का स्वरूप जिस तरह विगत वर्षों में बदला है उसके अनुसार रोजगार निर्माण की रणनीति नहीं बदली। हम अभी भी समझते हैं कि गांव के लोग जींस नहीं पहनते। वे ज्वार की रोटी, चटनी या प्याज खाते हैं। वे आइसक्रीम नहीं खाते। गांवों के बाजारों को शहरों के बाजार से ताकत मिलती है। जो वस्तुएं शहरों में मिलती हैं वे गांवों में भी उपलब्ध हैं। गांवों के संकुल बनाकर जरूर ऐसा काम कर सकते हैं कि उत्पाद भी गांवों में बनें और उसकी ब्रांडिंग में भी कोई कमी नहीं हो। ग्रामीण मानव संसाधन किस प्रकार का है। उसके पास कितना कला कौशल है। यह सब आकलन करना होगा।

- **ग्रामीण उद्यमिता के बारे में आपने अक्सर चर्चा की है। आपकी इस बारे में क्या सोच है?**

●● देखिये, एक स्थिति यह है कि गांवों में मानव संसाधन उपलब्ध है। वहां विवेक और समझदारी उपलब्ध है। सिर्फ अवसरों का अभाव है। इसके कारण युवा स्वयं आगे नहीं आते। उनमें उद्यमिता की भावना विकसित नहीं हुई है। ग्रामीण युवाओं को बताना होगा कि उनमें क्षमता है और वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जब हम देखते हैं कि कई कंपनियां गांवों के युवाओं को लेकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से गांवों में काम कर रही हैं। इसलिये ग्रामीण उद्यमिता की मैं बहुत संभावनाएं देखता हूं।

- **आपने ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने की बात भी की है। इसे आगे कैसे बढ़ायेंगे?**

●● हर ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र संस्था है। पंच-सरपंच और गांव के लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने और यह समझाने की जरूरत है। वे अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे यह जानते हैं कि उनके गांव की सबसे बड़ी जरूरतें और समस्याएं क्या हैं। वे समाधान भी जानते हैं। इसलिये वे अपना मास्टर प्लान बनाने में भी सक्षम हैं। हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं।

- **मनरेगा एक अच्छी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुक गया है। इसकी भी आलोचनाएं सामने आयी हैं। आप क्या कहेंगे?**

●● इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने और गांवों में नई-नई परिसंपत्तियों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण काम किया है। जब केन्द्र में नई सरकार आई थी तब इस योजना की भरपूर आलोचना हुई थी। कई टिप्पणियां की गई थीं। लेकिन इसके उद्देश्यों और क्रियान्वयन के संबंध में आलोचना नहीं हो सकी। स्वतंत्र भारत में यह सबसे बड़ी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना साबित हुई है। इसके क्रियान्वयन में कई खामियां हो सकती हैं। सख्त निगरानी से यह दूर हो जायेंगी।

- **क्या सामाजिक अंकेक्षण से खामियां दूर होंगी?**

●● बिल्कुल हो सकती हैं। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसा तरीका है जो पारदर्शी है, प्रभावी है और इसमें सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी है। सामाजिक अंकेक्षण पर और ज्यादा प्रशिक्षण गांवों में देना होगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की घोषणा का क्रियान्वयन शुरू

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में धार जिले में मूक-बधिर नव-दम्पत्ति को मिली बढ़ी हुई राशि

कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। तिरला जनपद पंचायत की एकल दिव्यांग नव-दम्पत्ति श्री सुरेश सिसोदिया तथा सुश्री लक्ष्मी सिंगार को 51 हजार तथा मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना से एक लाख रुपये की राशि का चेक दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। योजना में हुए संशोधन का पहला प्रकरण आज धार जिले में सामने आया, जब कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बढ़ी हुई राशि 51 हजार रुपये का चेक मूक-बधिर नव-दम्पत्ति को प्रदान किया। नव-दम्पत्ति को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना से एक लाख रुपये की राशि भी दी गई। प्रकरण में कन्या अनुसूचित जनजाति की तथा वर राजपूत समाज (सामान्य वर्ग) से है। श्री कमल नाथ ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार किये जाने का निर्णय लिया था।

जिला कलेक्टर ने आर्य समाज मंदिर में योजना के अंतर्गत हुए समारोह में तिरला जनपद पंचायत की एकल दिव्यांग नव-दम्पत्ति श्री सुरेश सिसोदिया तथा सुश्री लक्ष्मी सिंगार को 51 हजार तथा मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना से एक लाख रुपये की राशि का चेक दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में से कन्या को 43 हजार एवं 5 हजार रुपये की सामग्री दी गई तथा 3 हजार रुपये आयोजन के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना की राशि 51 हजार किये जाने के बाद इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार रुपये प्रति कन्या के मान से, सामग्री के लिये 5 हजार रुपये तथा शेष राशि 43 हजार रुपये कन्या के बचत बैंक खाते में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्या विवाह तथा निकाह सहायता की राशि का लाभ लेने के लिए आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है।

2019 ईस्वी सन्
शक संवत् 1940–41

पंचा

जनवरी — पौष–माघ 1940 — 2019

रविवार		6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (7)
सोमवार		7 (17)	14 (24)	21 (1)	28 (8)
मंगलवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (2)	29 (9)
बुधवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (3)	30 (10)
गुरुवार	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (4)	31 (11)
शुक्रवार	4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (5)	
शनिवार	5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (6)	

फरवरी — माघ –फाल्गुन 1940 — 2019

रविवार		3 (14)	10 (21)	17 (28)	24 (5)
सोमवार		4 (15)	11 (22)	18 (29)	25 (6)
मंगलवार		5 (16)	12 (23)	19 (30)	26 (7)
बुधवार		6 (17)	13 (24)	20 (1)	27 (8)
गुरुवार		7 (18)	14 (25)	21 (2)	28 (9)
शुक्रवार	1 (12)	8 (19)	15 (26)	22 (3)	
शनिवार	2 (13)	9 (20)	16 (27)	23 (4)	

मार्च — फाल्गुन–चैत्र 1940–41 — 2019

रविवार	31 (10)	3 (12)	10 (19)	17 (26)	24 (3)
सोमवार		4 (13)	11 (20)	18 (27)	25 (4)
मंगलवार		5 (14)	12 (21)	19 (28)	26 (5)
बुधवार		6 (15)	13 (22)	20 (29)	27 (6)
गुरुवार		7 (16)	14 (23)	21 (30)	28 (7)
शुक्रवार	1 (10)	8 (17)	15 (24)	22 (1)	29 (8)
शनिवार	2 (11)	9 (18)	16 (25)	23 (2)	30 (9)

अप्रैल — चैत्र–वैशाख 1941 — 2019

रविवार		7 (17)	14 (24)	21 (1)	28 (8)
सोमवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (2)	29 (9)
मंगलवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (3)	30 (10)
बुधवार	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (4)	
गुरुवार	4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (5)	
शुक्रवार	5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (6)	
शनिवार	6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (7)	

मई — वैशाख–ज्येष्ठ 1941 — 2019

रविवार		5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (5)
सोमवार		6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (6)
मंगलवार		7 (17)	14 (24)	21 (31)	28 (7)
बुधवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (1)	29 (8)
गुरुवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (2)	30 (9)
शुक्रवार	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (3)	31 (10)
शनिवार	4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (4)	

जून — ज्येष्ठ–आषाढ़ 1941 — 2019

रविवार	30 (9)	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (2)
सोमवार		3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (3)
मंगलवार		4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (4)
बुधवार		5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (5)
गुरुवार		6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (6)
शुक्रवार		7 (17)	14 (24)	21 (31)	28 (7)
शनिवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (1)	29 (8)

शासकीय

समस्त

26	जनवरी	गणतंत्र
19	फरवरी	* संत
4	मार्च	महाशिव
21	मार्च	होली
1	अप्रैल	† बैंकों
6	अप्रैल	* गुड़ी
13	अप्रैल	रामनवमी
14	अप्रैल	डॉ. अम्बे
17	अप्रैल	महावीर
19	अप्रैल	पुण्य शु
7	मई	* परशु
18	मई	बुद्ध पूर्णि
5	जून	ईद–उल
12	अगस्त	ईदुज्जुह
15	अगस्त	स्वतंत्रत
23	अगस्त	* जन्मा
10	सितम्बर	मोहर्रम
2	अक्टूबर	गांधी ज
8	अक्टूबर	दशहरा
13	अक्टूबर	महर्षि वा
27	अक्टूबर	दीपावली
10	नवम्बर	मिलाद–
12	नवम्बर	गुरुनान
25	दिसम्बर	ख्रिस्त ज

* कोषागारों एवं उप–कोषागार
† केवल कोषागारों एवं उप–

ऐच्छिक (आ

(1) 1 जनवरी – नववर्ष दिवस, (2) 14 जनवरी – मकर संक्रांति, (3) 15 जनवरी – पोंगल, (4) 21 जनवरी – हेमू कालाणी का शहीदी दिवस, (5) 11 फरवरी – देव नाराय
दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस, (10) 20 मार्च – होली (होलिका दहन)/वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस, (11) 21 मार्च – हजरत अली का जन्म दिवस, (12) 22
हाटकेश्वर जयन्ती, (17) 30 अप्रैल – वल्लभाचार्य जयन्ती, (18) 1 मई – सेन जयन्ती, (19) 7 मई – अक्षय तृतीया, (20) 9 मई – शंकराचार्य जयन्ती, (21) 31 मई –
(25) 15 जून – बड़ा महादेव पूजन, (26) 17 जून – कबीर जयन्ती, (27) 24 जून – वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस, (28) 4 जुलाई – रथयात्रा, (29) 16 जुलाई –
(34) 17 अगस्त – पारसी नववर्ष दिवस, (35) 19 अगस्त – गदीर–ए–खुम, (36) 21 अगस्त – बलराम जयन्ती, (37) 2 सितम्बर – गणेश चतुर्थी, (38) 5 सितम्बर –
(43) 18 सितम्बर – राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, (44) 27 सितम्बर – प्राणनाथ जयन्ती, (45) 28 सितम्बर – सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, (46)
(50) 29 अक्टूबर – भाईदूज, (51) 8 नवम्बर – नामदेव जयन्ती, (52) 15 नवम्बर – बिरसा मुंडा जयन्ती, (53) 22 नवम्बर – झलकारी जयन्ती, (54) 3 दिसम्बर – सं
(58) 31 दिसम्बर – बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती.

टीप – प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 58 ऐच्

यका
मध्यप्रदेश
पंचायतों की मासिक पत्रिका

2 0 1 9
विक्रम संवत् 2075–76

अवकाश

रविवार
दिवस
रविदास जयन्ती
रात्रि

की वार्षिक लेखाबंदी
पड़वा/चैती चांद
ी
बेडकर जयन्ती/वैशाखी
जयन्ती
क्रवार (गुड फ्रायडे)
राम जयन्ती
र्मा
–फित्र
ा
ा दिवस/रक्षाबंधन
ष्टमी

यन्ती
(विजयादशमी)
ाल्मीकी जयन्ती
ी
–उन–नबी
क जयन्ती
जयन्ती (क्रिसमस)

ों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं।
कोषागारों के लिये यह छुट्टी है।

जुलाई — आषाढ़–श्रावण 1941 — 2019

रविवार		7 16	14 23	21 30	28 6
सोमवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
मंगलवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8
बुधवार	3 12	10 19	17 26	24 2	31 9
गुरुवार	4 13	11 20	18 27	25 3	
शुक्रवार	5 14	12 21	19 28	26 4	
शनिवार	6 15	13 22	20 29	27 5	

अगस्त — श्रावण–भाद्र 1941 — 2019

रविवार		4 13	11 20	18 27	25 3
सोमवार		5 14	12 21	19 28	26 4
मंगलवार		6 15	13 22	20 29	27 5
बुधवार		7 16	14 23	21 30	28 6
गुरुवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
शुक्रवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8
शनिवार	3 12	10 19	17 26	24 2	31 9

सितम्बर — भाद्र–आश्विन 1941 — 2019

रविवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
सोमवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8
मंगलवार	3 12	10 19	17 26	24 2	
बुधवार	4 13	11 20	18 27	25 3	
गुरुवार	5 14	12 21	19 28	26 4	
शुक्रवार	6 15	13 22	20 29	27 5	
शनिवार	7 16	14 23	21 30	28 6	

अक्टूबर — आश्विन–कार्तिक 1941 — 2019

रविवार		6 14	13 21	20 28	27 5
सोमवार		7 15	14 22	21 29	28 6
मंगलवार	1 9	8 16	15 23	22 30	29 7
बुधवार	2 10	9 17	16 24	23 1	30 8
गुरुवार	3 11	10 18	17 25	24 2	31 9
शुक्रवार	4 12	11 19	18 26	25 3	
शनिवार	5 13	12 20	19 27	26 4	

नवम्बर — कार्तिक–अग्रहायण 1941 — 2019

रविवार		3 12	10 19	17 26	24 3
सोमवार		4 13	11 20	18 27	25 4
मंगलवार		5 14	12 21	19 28	26 5
बुधवार		6 15	13 22	20 29	27 6
गुरुवार		7 16	14 23	21 30	28 7
शुक्रवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29 8
शनिवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9

दिसम्बर — अग्रहायण–पौष 1941 — 2019

रविवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29 8
सोमवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9
मंगलवार	3 12	10 19	17 26	24 3	31 10
बुधवार	4 13	11 20	18 27	25 4	
गुरुवार	5 14	12 21	19 28	26 5	
शुक्रवार	6 15	13 22	20 29	27 6	
शनिवार	7 16	14 23	21 30	28 7	

नल) छुट्टियाँ

ण जयन्ती, (6) 12 फरवरी – नर्मदा जयन्ती, (7) 18 फरवरी – स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस, (8) 19 फरवरी – छत्रपति शिवाजी जयन्ती, (9) 1 मार्च – महर्षि
2 मार्च – भाईदूज, (13) 10 अप्रैल – निषादराज जयन्ती, (14) 11 अप्रैल – महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती, (15) 15 अप्रैल – विशु/शब–ए–बारात, (16) 18 अप्रैल –
– जमात–उल–विदा, (22) 4 जून – ईद–उल–फित्र (के ठीक पूर्व का दिवस), (23) 6 जून – छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती, (24) 11 जून – महेश जयन्ती,
– गुरुपूर्णिमा, (30) 5 अगस्त – नागपंचमी, (31) 7 अगस्त – गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, (32) 9 अगस्त – आदिवासी दिवस, (33) 13 अगस्त – दुर्गादास राठौर जयन्ती,
– नवाखाई, (39) 9 सितम्बर – डोलग्यारस/योम–ए–अशुरा, (40) 11 सितम्बर – ओणम, (41) 12 सितम्बर – अनंत चतुर्दशी, (42) 17 सितम्बर – विश्वकर्मा जयन्ती,
7 अक्टूबर – दशहरा (महानवमी), (47) 17 अक्टूबर – करवा चौथ पर्व, (48) 26 अक्टूबर – दीपावली (दक्षिण भारतीय), (49) 28 अक्टूबर – दीपावली का दूसरा दिन,
न श्री जिनतरण तारण जयन्ती, (55) 11 दिसम्बर – दत्तात्रय जयन्ती, (56) 17 दिसम्बर – डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस, (57) 18 दिसम्बर – गुरु घासीदास जयन्ती,

छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियां दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेता संघ ने किया

मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेता संघ छिन्दवाड़ा के तत्वावधान में स्थानीय करन होटल के सभाकक्ष में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिये कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में मजबूती आने पर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में खाद, बीज एवं कीटनाशकों के व्यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भले ही आप किसान नहीं हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र से सीधे जुड़े हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने में आपका सहयोग आवश्यक है। विक्रेतागण व्यापार भी करें, लेकिन अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को भी अच्छी तरह से निभायें। समारोह में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेता संघ द्वारा आत्मीय अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि अब जमाना बदल चुका है। आज का किसान और उसका परिवार जागरूक है। हमें भी उसी जागरूकता के साथ उनकी समस्यायें और परेशानियां समझनी होंगी। नई दृष्टि, नये नजरिये, नई सोच से कृषि क्षेत्र की नई आवश्यकताओं को नया मोड़ देना होगा। कृषक परिवार की युवा पीढ़ी की खुशहाली की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने कृषि आदानों के विक्रेताओं से अपनी भूमिका उचित ढंग से निभाने की आशा व्यक्त की और इस भूमिका के निर्वहन में अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में विधायकगण सर्वश्री दीपक सक्सेना, नीलेश उईके और सुनील उईके उपस्थित थे।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में तीन रंग के होंगे आवेदन-पत्र

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसानों को पात्रतानुसार हरे, सफेद और गुलाबी रंग के आवेदन-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। शासन से जारी नियमानुसार ऋणी कृषकों की सूची प्रकाशन के बाद आधार सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों को हरे रंग के आवेदन-पत्र तथा गैर-आधार सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों का सफेद रंग के आवेदन-पत्र जमा करने होंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान को दिया गया है। इसके लिये किसान को गुलाबी आवेदन करना होगा।

गुलाबी आवेदन-पत्र में होंगे दो भाग

गुलाबी आवेदन-पत्र में भाग एक केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में दर्ज नहीं है। भाग दो केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है।

हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बने

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने

विभागीय समीक्षा में दिये निर्देश

मध्यप्रदेश में हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान के आधार पर ही ग्राम पंचायत का सुनियोजित विकास हो। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने यह बात 4 जनवरी को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण नल-जल योजनाओं में स्मार्ट मीटर लगेंगे। इनकी रीडिंग सीधे कंट्रोल रूम में दर्ज होगी। इसके बिल भी ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। इससे विद्युत बिल जमा नहीं होने से नल-जल योजनाएँ बंद नहीं होंगी।

श्री पटेल ने कहा कि जिस अधिकारी के पास जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन जनहित में करें। आपका काम ग्राउण्ड लेवल पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सुविधा जिसके लिए

(शेष अगले पृष्ठ पर)

- **हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बने।**
- **नल-जल योजना में लगेंगे स्मार्ट मीटर।**
- **अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा।**
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाए जाएं।**
- **शौचालय गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए।**
- **प्रत्येक विकासखण्ड में आजीविका मिशन का कार्यालय होना चाहिए।**
- **संभाग स्तर पर जल्दी ही होंगे पंच-सरपंच सम्मेलन।**

वचन-पत्र पूरा करेंगे

योजनाओं को गाँवों में घर-घर तक पहुँचायें

भोपाल में 3 जनवरी को समन्वय भवन में पंचायत सचिव संगठन का राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिये वचन-पत्र में दिये गये बिन्दुओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने पंचायत सचिवों को आश्वस्त किया कि उन्हें जल्दी ही समुचित अधिकार दिये जायेंगे। मंत्री श्री पटेल ने पंचायत सचिवों से निष्ठा के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की हितग्राहीमूलक योजनाओं को गाँवों में घर-घर पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में गृह एवं जेल मंत्री श्री बाला बच्चन ने कहा कि वचन-पत्र के सभी बिन्दुओं को राज्य सरकार पूरा करेगी। इसके लिए वचन-पत्र के सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही शुरू हो गई है। विधि-विधायी कार्य मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिवों की हितग्राहियों तक शासन की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के दायित्व निर्वहन को सुनिश्चित करें। शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना है।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

है, उसको मिलना सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही भी की जायेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाये जायें। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवायें। शौचालय गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए। जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनका भुगतान समय पर किया जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश अव्वल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर आने पर बधाई दी।

मध्यप्रदेश में 14 लाख 29 हजार 84 के लक्ष्य के विरुद्ध 11 लाख 90 हजार 823 आवास बनाये जा चुके हैं। इस तरह से 83.33 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है, जो अन्य प्रदेशों से अधिक है।

श्री पटेल ने आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि संस्थाएँ जिस उद्देश्य को लेकर बनायी गयी हैं, उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगायें। प्रत्येक विकासखण्ड में मिशन का कार्यालय होना चाहिए।

अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि 159 विकासखण्डों में भवन बनाये जा रहे हैं।

श्री पटेल ने कहा कि जिन जिलों में वर्षा कम हुई है, वहाँ के गाँवों में पेय-जल आपूर्ति के लिए पहले से प्लान बनायें। निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य समय-सीमा में पूरा करें।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि संभाग स्तर पर पंच-सरपंच सम्मेलन जल्द करवायें। अपर मुख्य सचिव श्री बैंस ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्रों में स्मार्ट क्लास-रूम बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाता है। बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री अमित राठौर, संचालक वाल्मी श्रीमती उर्मिला शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत विकास योजना पर कार्यशाला का आयोजन

पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों के समग्र विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की शुरुआत की गयी है। स्थानीय स्तर से विकास योजना निर्माण के इस अभियान में गाँव के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व से पूर्ण विकास को अमल में लाने का प्रयास किया गया।

इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में गरीबी कम करना, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पारितंत्र का विकास, सार्वजनिक सेवा की आपूर्ति मध्यप्रदेश में सुशासन इत्यादि शामिल हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की चरणबद्ध शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का निर्माण कर इसे प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विकास योजना के प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड होने से यह योजना सबके समक्ष होगी, क्रियान्वयन तेजी से होगा तथा मॉनीटरिंग भी समय से हो सकेगी। प्रदेश में पूर्व में ग्राम पंचायत विकास योजना को पंच-परमेश्वर पोर्टल

प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का विनिर्माण कर इसे प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। विकास योजना को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड होने से यह योजना सबके समक्ष होगी। क्रियान्वयन तेजी से होगा तथा मॉनीटरिंग भी समय से हो सकेगी।

पर अपलोड किया जाता था। देश भर में एकजाई व्यवस्था लागू होने के उद्देश्य से भारत शासन ने इस रिपोर्ट को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में 8 जनवरी, 2019 को वाल्मी भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला में प्लान प्लस पोर्टल अपलोड करने का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 38 जिलों के 140 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में जिला तथा जनपद स्तर पर जीपीडीपी पोर्टल, प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही समस्याओं को प्रशिक्षण के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। प्रशिक्षण पंचायत राज मंत्रालय के सलाहकार श्री सिद्धान्त तथा श्री अभिषेक द्वारा दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रदेश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर प्लान प्लस पोर्टल पर जीपीडीपी अपलोड करने में आ रही समस्याओं के समाधान तथा अपलोड करने की जानकारी को लेकर वाल्मी भोपाल में 24 दिसम्बर, 2018 को भी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 24 दिसम्बर को आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के सभी 51 जिलों तथा जनपदों के नोडल अधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों को बुलाया गया था। ऑनलाइन प्रशिक्षण पंचायत राज मंत्रालय के सलाहकार श्री चेतन गुप्ता और श्री अभिषेक द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में 42 जिलों के 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को जीपीडीपी पोर्टल, प्लान प्लस पोर्टल तथा मिशन अंत्योदय का प्रशिक्षण दिया गया था। हाल ही में 8 जनवरी को सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के प्रशिक्षण प्राप्त नोडल अधिकारियों ने मांग की थी कि उन्हें जीपीडीपी कार्य योजना के प्रपत्र उपलब्ध करवाये जायें, ताकि वे इनमें ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी-अपनी पंचायतों की जानकारी भर कर ग्राम सभा में अनुमोदन करवा सकें। तदउपरांत प्लान, प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड कर सकें।

मांग अनुसार पंचायिका के इस अंक में प्रपत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं ताकि इसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।

● प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े

e-पंचायत व्यवस्था और कैशलेश इकोनॉमी

सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

पंचायती राज व्यवस्था में सूचना संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से विकास की नयी क्रांति अमल में लायी जा रही है। इससे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की e-पंचायत व्यवस्था के तहत कैशलेश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश में नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत अब तक 12812 में से 12687 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन के लिए केबल लाइन और आवश्यक उपकरण लगा दिए गए हैं। जल्द ही अन्य पंचायतों में भी यह संभव हो जायेगा। पंचायतों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन लगने से यहाँ के ग्रामवासी बीएसएनएल से ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन से होने वाला लाभ उठा सकते हैं।

ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इन सभी ग्राम पंचायतों में 499 रुपये का प्लान लेने के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं। ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन लगने से पंचायतों में जहाँ कार्य त्वरित गति से हो सकेंगे, वहीं अब उन्हें हर शासकीय कार्य के लिए जनपद पंचायत मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी कार्य पंचायत में ही संभव हो जायेंगे।

यदि किसी ग्राम पंचायत की आवश्यकता अधिक है और 499 रुपये के प्लान से पूर्ति संभव नहीं है वे पंचायतें ''फाइबर कॉम्बो ULD 777'' ले सकते हैं। इसमें मासिक व्यय 777/- रुपये आयेगा तथा डाउनलोड स्पीड 500 GB तक 50 Mbps एवं उसके बाद 2 Mbps होगी।

पंचायतों में बीएसएनएल द्वारा लिये गये कनेक्शन के बिल का भुगतान 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली प्रशासनिक मद की राशि से किया जायेगा। कनेक्शन की संख्या बढ़ने पर ग्राहकों की सुविधा के लिए बीएसएनएल का स्टॉफ भी मॉनिटरिंग करेगा। जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतवार सूची http://www.bsnl.nic.in पर उपलब्ध है। जिन पंचायतों को कनेक्शन लेना है अथवा मॉनिटरिंग के लिए जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करना है, वे उनका नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि जानकारी mpsteps@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी से ग्राम पंचायतों को प्राप्त सुविधाएं और लाभ

- e-पंचायत की परिकल्पना सार्थक होगी।
- बैंकिंग की सुविधा।
- बैंक खाता खोलने और पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा।
- बिजली का बिल तथा अन्य बिल ऑनलाइन जमा करने की सुविधा।
- रेल, बस टिकिट बुक करना, ऑनलाइन आरक्षित करने की सुविधा।
- खसरा-खतौनी की कॉपी निकालने की सुविधा।
- शासकीय योजनाओं के भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- पेंशन, विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप आदि ऑनलाइन खाते में प्राप्त करने की सुविधा।
- कृषि संबंधी जानकारी।
- शासकीय भुगतान की अद्यतन जानकारी।
- वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
- कोर्ट केसेस की अद्यतन स्थिति।

● प्रस्तुति : विजय देशमुख

ग्राम विकास योजना प्रपत्र : कार्य तथा गतिविधियाँ

यह ग्राम विकास योजना निर्माण का मूल प्रपत्र है, जिसमें स्थिति विश्लेषण और समाधानों के विकल्पों के पश्चात गतिविधियों की कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया जावे। यह कार्य 'ग्राम स्तरीय नियोजन दल' सहयोगकर्ताओं की सहायता से करेंगे। ग्राम में नागरिकों, विशेषज्ञ संस्थाओं और पंचायत पदाधिकारियों की सहभागिता से समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है।

तकनीकी मुद्दे व बजट आदि के लिए विभागीय अधिकारियों की भी सहायता ली जा सकती है। यह प्रपत्र तैयार करने के पश्चात ग्राम-सभा में पढ़कर बताया जाए और सभी वर्गों की राय ली जाए। फिर ग्राम-सभा में अनुमोदन कर योजना को पंचायत में जमा किया जाए। इसमें कम लागत या न्यून बजट योजनाएँ जिन्हें समुदाय स्वयं से कर सकता है, उन गतिविधियों को आवश्यक रूप से शामिल किया जावे।

प्रपत्र क्रमांक-1

ग्राम विकास योजना रिपोर्ट (सामुदायिक कार्य)

ग्राम पंचायत का नाम ..... ग्राम का नाम ..... कोड .....

ग्राम सभा दिनांक ..... उपस्थित सदस्यों की संख्या ..... पुरुष ..... महिला .....

क्र.	गतिविधि का नाम	गतिविधि का विवरण	स्थान	इकाई	इकाई लागत	कुल अनु. लागत	गैर लागत गतिविधि (हाँ/नहीं)	गतिविधि नवीन/निरंतर/मरम्मत	अनुमानित लाभार्थी संख्या	कार्यान्वयन संख्या	योजना का नाम	गतिविधि प्रारंभ माह	कुल अवधि (माह/दिवस)	विभाग	क्षेत्रक	जिम्मेदारी (विभाग/व्यक्ति/समिति/समुदाय)	प्राथमिकता क्रमांक
अधोसंरचनात्मक गतिविधियाँ (14वें वित्त व अन्य मदों में) प्रपत्र क्रमांक-2																	
शिक्षा एवं साक्षरता (विभागीय गतिविधियाँ एवं न्यून बजट/शून्य बजट सामुदायिक गतिविधियाँ) प्रपत्र क्रमांक-3																	
स्वास्थ्य एवं पोषण (विभागीय गतिविधियाँ एवं न्यून बजट/शून्य बजट सामुदायिक गतिविधियाँ) प्रपत्र क्रमांक-4																	
स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल (विभागीय गतिविधियाँ एवं न्यून बजट/शून्य बजट सामुदायिक गतिविधियाँ) प्रपत्र क्रमांक-5																	
कृषि एवं आजीविका - फॉर्म/नॉन फॉर्म आधारित (विभागीय गतिविधियाँ एवं न्यून बजट/शून्य बजट सामुदायिक गतिविधियाँ) प्रपत्र क्रमांक-6																	
रोजगार ग्यारंटी योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले बसाहटवार कार्य - प्रपत्र क्रमांक-7																	
सामाजिक सुरक्षा एवं पात्रता अधिकार (विभागीय गतिविधियाँ एवं न्यून बजट/शून्य बजट सामुदायिक गतिविधियां) प्रपत्र क्रमांक-8																	

प्रपत्र क्रमांक-9

ग्राम विकास योजना रिपोर्ट (हितग्राही मूलक)

गरीबी उन्मूलन योजना व पात्रता योजना से निकल कर आये हितग्राहियों की जानकारी हेतु यह प्रपत्र है। इस प्रपत्र में ग्राम सभा के दौरान निकल कर आये हितग्राहियों के भी नाम लिखे जावें।

ग्राम पंचायत का नाम ..... कोड ..... ग्राम का नाम ..... कोड .....
ग्राम सभा दिनांक ..... उपस्थित सदस्यों की संख्या ..... पुरुष ..... महिला ..... कुल .....

हितग्राही मूलक योजना	संबंधित विभाग	हितग्राही का नाम (पिता/पति के नाम सहित)	आयु	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	समग्र ID (यदि उपलब्ध हो तो)	पता	योजना का प्रकार

प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए स्टेप्स

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के बाद प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में अपलोड करना आवश्यक है। प्लान प्लस सॉफ्वेयर में अपलोड करने के लिए विभिन्न चरण और तकनीकी पक्ष शामिल हैं। आपकी सुविधा और जानकारी के लिए प्लान प्लस सॉफ्टवेयर के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

सर्वप्रथम http://planningonline.gov.in को Web Portal में enter करें या http://gpdp.nic.in/ को Web Portal में enter करते हुए Plan Plus Option को Click करें। Click करते ही Login Page Open होगा। जहाँ ग्राम पंचायतों को प्रदाय किया गया Username & Password enter करें। Username & Password enter करते ही Plan Plus का Page open होगा।

Plan Plus के Home Page में Left hand Side में 4 Option प्रदर्शित होंगे जिसमें ग्राम पंचायत स्तर से Entry की जानी है।

1. Requirement Section
2. Resource Envelope
3. Planning

सर्वप्रथम Requirement Section में Click करने पर 02 Option display होंगे।

1. Suggestion
2. Work/Activity Planned

सबसे पहले Suggestion वाले option में Click करना है जहां 02 Sub option open होंगे।

1. Open Suggestion Box :- इस option में ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा की जानकारी भरना होगा।
2. Create Suggestion/Resolution :- इस option में ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा के अध्यक्ष उपस्थिति संख्या, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और कार्यविधि का चयन करना होगा।

इसके बाद Work/Activity Planned वाले option में Click करना है जहां 04 Sub

option open होंगे।

1. Create Activity :- इस option में Click करते ही साईड में जानकारी भरने के लिए पेज डिस्प्ले होगा जहां पर हमें दो प्रकार के कार्य :– सामुदायिक कार्य, हितग्राही मूलक योजना संबंधी जानकारी भरकर save, save & forward करनी होगी।
2. Modify Activity :- इस option में create की गई Activity को सुधारा जा सकता है एवं save, save & forward करनी होगी।
3. View Activity :- इस option में create की गई Activity को देखा जा सकता है।
4. Remove Activity :- इस option में create की गई Activity को हटाया जा सकता है।

द्वितीय :– में Resource Envelope में Click करने पर 02 Option display होंगे।

1. Opening Balance :- इस option में 28 प्रकार की Scheme में ग्राम पंचायत के Opening Balance जो लागू हो डालना होगा और save करना होगा।
2. Budgetary Allocation :- इस option में 28 प्रकार की Scheme में ग्राम पंचायत में डाले गये कार्यों के लिए कुल Budget Allocate करना होगा और save करना होगा।

तृतीय :– Planning में Click करने पर 04 Option display होंगे।

1. Create Action Plan
2. Modify Action Plan
3. Revert Action Plan
4. Approve Action Plan

1. Create Action Plan :- इस option में गतिविधियों की राशि श्रेणीवार अंकित कर Allocate करें। साथ ही save करने के उपरांत save & forward to admin approval करें।
2. Modify Action Plan :- इस option में गतिविधियों की राशि श्रेणीवार अंकित करने में यदि गलती हो तो सुधारा जा सकता है एवं उपरांत save & forward to admin approval करें।
3. Revert Action Plan :- इस option में गतिविधियों की वरीयता Allocation को आगे–पीछे किया जा सकता है।
4. Approve Action Plan :- इस option में गतिविधियों को पूर्ण रूप से Approve कर सकते हैं।

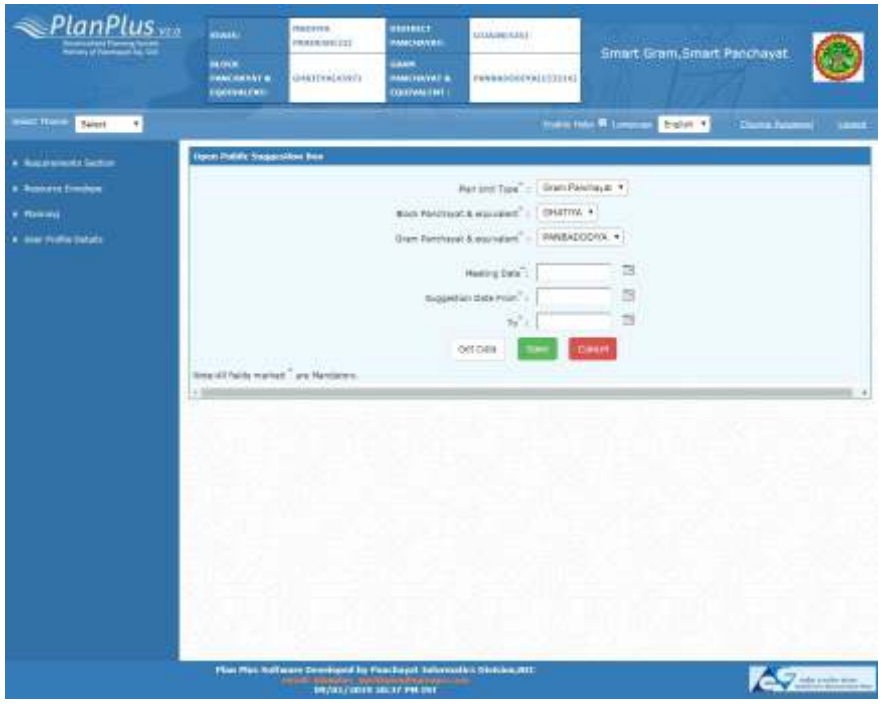

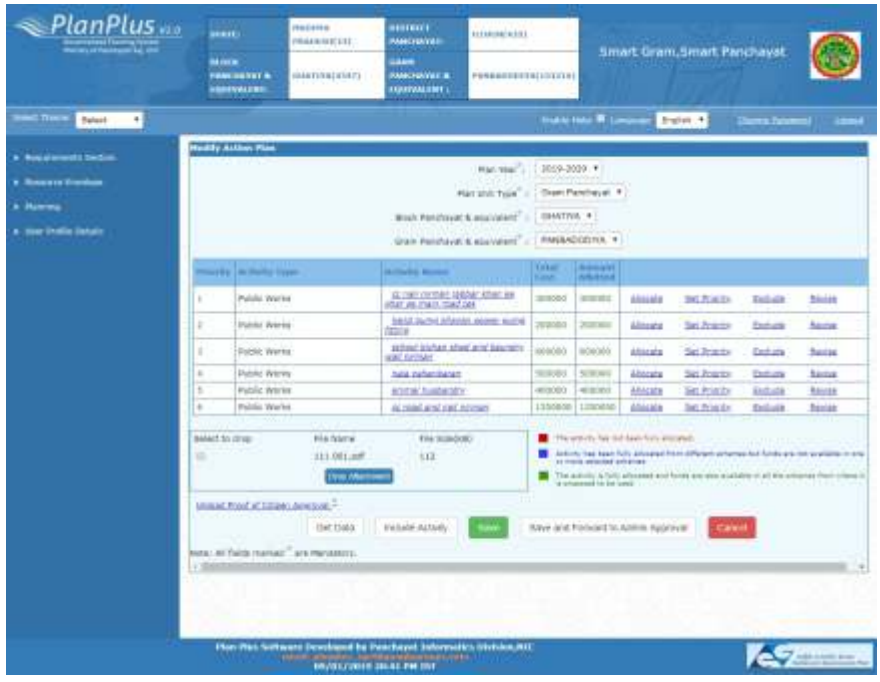

● प्रफुल्ल जोशी
राज्य कार्यक्रम समन्वयक, आरजीएसए

महाराष्ट्र में स्वच्छ भारत की अलख जगा रहा है

विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय

समृद्ध और सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण के लिये राष्ट्र का स्वच्छ होना बेहद आवश्यक है। देश में लोगों को स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ने के लिये चलाये जा रहे स्वच्छ भारत अभियान ने आज जन-आंदोलन का रूप ले लिया है। आज देश के 450 से अधिक जिले तथा 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं।

इस अभियान के तहत देश में लगभग 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ शहरी इलाके ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल भी जमकर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी ही स्वच्छता की एक अलख महाराष्ट्र में जगी है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में बच्चों ने लोगों को स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ने तथा गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के लिये विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय नामक अनोखी अवधारणा शुरू की है।

इस अवधारणा के तहत उस्मानाबाद में विभिन्न गाँवों में विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय और गुड मॉर्निंग स्क्वॉड बनाये गये हैं। इन स्वच्छता न्यायालयों और गुड मॉर्निंग स्क्वॉड में बच्चे ही शामिल होते हैं।

कैसे कार्य करता है न्यायालय

इस अवधारणा में जो भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ पाया या देखा जा सकता है, उसे विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय में ले जाया जाता है तथा उस पर गंदगी फैलाने के कारण दंड लगाया जाता है। दंडस्वरूप उस व्यक्ति से स्कूल परिसर की सफाई, गाँव की सफाई या स्कूल के शौचालय की सफाई आदि कोई भी एक कार्य करवाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बच्चों द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करता है या सजा मानने से इंकार करता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है।

चूंकि गुड मॉर्निंग स्क्वॉड में गाँव के ही बच्चे होते हैं, इसलिये विद्यार्थियों की कार्रवाई का कोई भी विरोध नहीं करता है। इस तरह की कार्रवाइयों से गाँवों में अब सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। लोग अब खुले में शौच की जगह शौचालयों का प्रयोग करना बेहतर समझने लगे हैं। उस्मानाबाद के शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस अवधारणा को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिये।

क्या है चयन का मापदंड

विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय और गुड मॉर्निंग स्क्वॉड के लिये बच्चों के पैनल का चयन ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिलकर करते हैं। पैनल के चयन के मानदंड निर्धारित किये गये हैं। जैसे बच्चा कक्षा 5वीं से 10वीं का छात्र-छात्रा हो, विद्यार्थी के घर में शौचालय हो और उन्हें स्वच्छता के तौर तरीकों की जानकारी हो।

गुड मॉर्निंग स्क्वॉड जिन लोगों को खुले में शौच करते हुए देखता है, उनके घर पर लिखित नोटिस भिजवाया जाता है। नोटिस में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा जाता है। यह सुनवाई प्रत्येक शनिवार को रखी जाती है। जो लोग सुनवाई के लिये विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय में आते हैं उन्हें संकल्प दिलवाया जाता है कि वे अपने घरों में शौचालय बनवाकर उसका उपयोग करेंगे।

● **प्रस्तुति : मोहन सिंह पाल**

मध्यप्रदेश आवास निर्माण में देश में प्रथम

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के कुटीर निर्माण और स्वच्छ शौचालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। देश के सभी जरूरतमंद और निर्धन आवासहीनों को आवास मुहैया कराने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना में प्रदेश को 14.29 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से 1 अप्रैल, 2016 योजना प्रारंभ से अब तक 12 लाख 20 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। इस लक्ष्य प्राप्ति के साथ योजना के तहत आवास निर्माण में मध्यप्रदेश सबसे आगे है।

आवास निर्माण के कुल परिणामों में प्रदेश की एक विशेष उपलब्धि है कि देश भर में अति पिछड़ी जाति बैगा, सहरिया, भारिया को मकान उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इन जनजातियों के लिए प्रदेश में 30 हजार आवास स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किये गये। अति पिछड़ी जाति के लिए आवास निर्माण में भी प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

कैसे प्राप्त किया यह लक्ष्य

मध्यप्रदेश को आवास निर्माण में देश में अग्रणी बनाने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास अमले की बड़ी भूमिका है। विभाग की आवास आवंटन से लेकर आवास निर्माण तक सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सतत् निगरानी।

आवास बनने की हर स्टेज पर की जाने वाली मॉनिटरिंग से ही कार्य उत्कृष्ट और समय पर पूर्ण हुए हैं। इस योजना की संपूर्ण मॉनिटरिंग के लिए अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रति सप्ताह जिलेवार समीक्षा करते हैं। इसके अलावा विभाग ने मॉनिटरिंग के लिए कन्ट्रोल रूम बनाया है। इसके लिए 90 नोडल ऑफिसर

ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
देश में अव्वल 10 राज्य

क्र.	राज्य का नाम	एमओआरडी लक्ष्य	पूर्ण	आवास पूर्णता प्रतिशत
1.	मध्यप्रदेश	1429000	1300000	86.15
2.	हिमाचल प्रदेश	7385	5999	81.23
3.	पश्चिम बंगाल	1397474	1109427	79.39
4.	त्रिपुरा	27989	18926	75.74
5.	ओड़िशा	992558	733796	73.93
6.	गुजरात	204703	150823	73.68
7.	उत्तर प्रदेश	1282616	923882	72.03
8.	राजस्थान	687091	494021	71.90
9.	झारखंड	528791	356754	67.47
10.	छत्तीसगढ़	788235	518293	65.75

● प्रस्तुति : रीमा राय

कार्यरत हैं, जो प्रत्येक जनपद में सतत बात करते हैं और निगरानी करते हैं।

योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की एक विशेषता यह भी रही कि आवास निर्माण में तेजी आए, इसके लिए रणनीति बनाकर राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि तकनीकी दृष्टि से सही, उन्नत और उत्कृष्ट आवासों का निर्माण हो सके। चरणबद्ध चलने वाले इस प्रशिक्षण में अब तक 30 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की यह संख्या जनवरी में चतुर्थ चरण के उपरांत 40 हजार तक पहुँच जाएगी। प्रशिक्षण योजना अनुसार प्रदेश के सभी विकासखण्डों में संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर विकासखण्ड में 7 डिमांस्ट्रेटर और 35 राजमिस्त्री प्रशिक्षित किये गये। इन प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की परीक्षा कन्सट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) दिल्ली के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ली गई तथा प्रमाण-पत्र भी दिया गया।

राष्ट्रीय स्तर की मानक परीक्षा उत्तीर्ण होने और इस प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के बाद गाँव-गाँव के राजमिस्त्रियों को अब मानक कुशल श्रेणी की मान्यता प्राप्त हो गई है। इन राजमिस्त्रियों की कुशलता से प्रदेश को निर्माण और विकास दोनों स्तरों पर लाभ प्राप्त हुआ। एक तो आवास निर्माण की गति में तेजी आयी, आवास निर्माण का लक्ष्य पूर्ण हुआ, दूसरा राजमिस्त्रियों की रोज़गार से प्राप्त आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई।

प्रशिक्षित राजमिस्त्री विशेष रूप से कहीं भी कार्य करने में सक्षम हो गये हैं। आवास निर्माण के लिए किये गए राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के नवाचार से दूरगामी परिणाम प्राप्त हुए हैं। आवास के लक्ष्य में तो प्रदेश अग्रणी राज्य बना ही, साथ ही ग्रामीणों की रोज़गार की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ गयी हैं, जो ग्रामीण मध्यप्रदेश की समृद्धि में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं।

आवास और रोज़गार
दोनों मिले गीताबाई को

हितग्राही का नाम : **श्रीमती गीताबाई**
पति का नाम : **पीरूलाल**
आयु : **45 वर्ष**
समस्या : **स्वयं का आवास नहीं**
लाभ : **आवास के साथ दुकान बनाने से रोज़गार की भी व्यवस्था हुई।**
जिला : **देवास, तहसील - हाटपिपल्या, ग्राम देवगढ़**

मध्यप्रदेश के देवास जिले की हाटपिपल्या तहसील में स्थित गाँव देवगढ़ में रहती हैं 45 वर्षीय श्रीमती गीताबाई। गीताबाई भूमिहीन हैं। इनके पति की मृत्यु हो गई है। अनुसूचित जाति वर्ग की गीताबाई ने बताया, ''पहले जैसे-तैसे मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल गुजारा कर रही थी। रहने को पक्का मकान नहीं था। छत पर देशी कवेलू चढ़े हुए थे और कच्चा मकान था। बारिश में पानी टपकता था, कई बार हमें सारी रात बैठकर काटना पड़ती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमारी किस्मत बदल दी। हितग्राही सर्वे सूची में मेरा नाम शामिल हो गया। फिर ग्राम सभा में आवास निर्माण के लिये मेरा चयन किया गया। मकान स्वीकृत होने के बाद जनपद पंचायत बागली द्वारा पहली किश्त मेरे खाते में जमा की गई। बीच में जो भी मुश्किलें आयीं उन्हें पंचायत ने दूर किया और मकान बनाने के लिए हिम्मत बंधाई। मुझे मजदूरी सहित कुल 1 लाख 47 हजार रुपये मिले। इससे आवास बनाना, रंगाई, पुताई, दरवाजे, खिड़की, किचन, प्लेटफॉर्म सभी कुछ हो गया। मकान बनाने के साथ-साथ हमने उसमें एक छोटी सी दुकान भी बना ली और शटर डलवा लिया।'' गीताबाई भावुक होकर कहती हैं, ''एक समय था जब हम कच्चे टूटे-फूटे मकान में ठंड में ठिठुरते, बरसात में गीले होते बैठे रहते थे। अब पक्का मकान होने से बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे और मेरे परिवार को मकान तो मिला ही साथ में दुकान से प्राप्त आय से हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। हमें रोज़गार भी मिला है। अब मैं मजदूर नहीं, एक मकान और दुकान की मालकिन हूँ।''

● **प्रस्तुति : समता पाठक**

आर्थिक समृद्धि का अनूठा उदाहरण है राजमिस्त्री भारत बागरी

योजना का नाम	:	प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण
हितग्राही का नाम	:	भारत बागरी
पिता का नाम	:	श्री रामप्रताप बागरी
पीएमआईडी	:	MP 1621294
जिला	:	मंदसौर, जनपद सीतामऊ
ग्राम पंचायत	:	लदूना
समस्या क्या थी	:	अपना आवास नहीं, आर्थिक अभाव
लाभ क्या	:	स्वयं का पक्का आवास और राजमिस्त्री
प्रशिक्षण		से साप्ताहिक आय 12 हजार रुपये हो गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने जहाँ गरीबों को उनका अपना मकान उपलब्ध करवाया है, वहीं यह योजना रोज़गार का ज़रिया भी बनी है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनका जीवन ही बदल गया है। ऐसा ही एक उदाहरण है मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद के ग्राम लदूना निवासी श्री भारत बागरी का।

एक समय था जब श्री भारत बागरी के पास मात्र 10 x 10 फीट की झोपड़ी थी। इस कच्चे आवास में उसके माता-पिता सहित पूरा परिवार रहता था। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्री भारत को आवास निर्माण की स्वीकृति मिली तो उसके पास मकान निर्माण के लिए आवश्यक भूमि भी नहीं थी। श्री भारत को योजना के तहत आवास निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा 495 वर्ग फीट का भू-खण्ड उपलब्ध करवाया गया।

यह वह समय था जब प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा था, ताकि तकनीकी दृष्टि से सही आवास का निर्माण हो सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले द्वारा चलाये जा रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए श्री भारत बागरी को भी अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रशिक्षण 45 दिनों तक चला। प्रशिक्षण में शामिल श्री भारत को 45 दिनों तक 250 रुपये प्रतिदिन मानदेय भी प्रदान किया गया।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा था, ताकि तकनीकी दृष्टि से सही आवास का निर्माण हो सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास अमले द्वारा चलाये जा रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए श्री भारत बागरी को भी अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रशिक्षण 45 दिनों तक चला। प्रशिक्षण में शामिल श्री भारत को 45 दिनों तक 250 रुपये प्रतिदिन मानदेय भी प्रदान किया गया।

इस प्रशिक्षण से पूर्व श्री बागरी अकुशल श्रमिक के रूप में 150 रुपये प्रतिदिन पर 15 से 20 दिन मजदूरी किया करते थे। राजमिस्त्री प्रशिक्षण के उपरांत श्री बागरी की कन्सट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) दिल्ली के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा परीक्षा ली गयी और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद वे मानक स्तर की कुशल श्रेणी में शामिल हो गये हैं। इस प्रशिक्षण से उन्हें आवास तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही मानक राजमिस्त्री बनने से उनकी साप्ताहिक आमदनी 12 हजार रुपये हो गई।

पहले जहाँ श्री भारत की मासिक आमदनी मात्र तीन हजार रुपये महीना थी, वहीं अब कई गुना हो गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से श्री भारत को आवास मिलने के साथ राजमिस्त्री प्रशिक्षण से जीवन में आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव आया है। इस तरह ग्रामीण भारत की समृद्धि की ओर बढ़ते कदमों का अनुकरणीय उदाहरण बन गये हैं श्री भारत बागरी।

● प्रस्तुति : जय ठकराल

यूथ सोशल मीडिया चेम्पियन ने

मीसल्स-रुबैला टीकाकरण के समर्थन के लिए लिया संकल्प ...

तीस युवाओं ने यूथ सोशल मीडिया कैंप में भाग लिया । यह केम्प मध्य प्रदेश में तामिया के छिन्दवाड़ा जिले में आयोजित किया गया। यह सभी युवा सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य माध्यमों में काफी सक्रिय है। यह केम्प अंश हेप्पीनेस सोसाइटी एवं यूनिसेफ मध्यप्रदेश का एक साझा आयोजन था। सभी प्रतिभागियों को खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बाल अधिकार पर जानकारी दी गयी। केम्प के शुरुआती दौर में अंश के राहुल शाह एवं मोहसीन खान द्वारा सभी युवाओं का उन्मुखीकरण किया गया। साथ ही साथ सभी प्रतिभागियों को एक अलग नाम दिया गया, जिसके पीछे कोई न कोई कहानी छिपी थी जो एक बच्चे को प्रभावित करती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने में राहुल, मोहसीन खान एवं यूनिसेफ से अनिल गुलाटी ने युवाओं की मदद की । इस सत्र से युवाओं को बच्चों की चुनौतियों को समझने में मदद मिली। आगे सभी युवाओ की बाल अधिकार, बाल अधिकार के विभिन्न दृष्टिकोण - जीवन जीने और विकास का अधिकार, संरक्षण और भागीदारी का अधिकार पर एक समझ बनी। यूनिसेफ मध्यप्रदेश के अनिल गुलाटी से युवाओं ने बताया कि बच्चे सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक क्यों हैं?

30 युवाओं ने यूथ सोशल मीडिया कैंप में भाग लिया । यह केम्प मध्य प्रदेश में तामिया के छिन्दवाड़ा जिले में आयोजित किया गया । यह सभी युवा सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य माध्यमों में काफी सक्रिय है । यह केम्प अंश हेप्पीनेस सोसाइटी एवं यूनिसेफ मध्यप्रदेश का एक साझा आयोजन था। सभी प्रतिभागियों को खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बाल अधिकार पर जानकारी दी गयी।

केम्प के अगले चरण में, डॉ. मानिक चटर्जी, स्वास्थ्य अधिकारी यूनिसेफ मध्यप्रदेश ने युवाओं को बताया कि बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों महत्त्वपूर्ण है एवं उसके क्या फायदे हैं। उन्होंने आने वाले मीसल्स-रुबैला टीके के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी ।

सभी प्रतिभागियों को तामिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण कराया गया। यहाँ उन्होंने समझा कि कोल्ड चेन केंद्र एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा टीके को कैसे संग्रहित किया जाता है ।

सभी सोशल मीडिया चेम्पियन ने अपने विचारों एवं लर्निंग को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने पातालकोट की आंगनवाड़ी का भी भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलकर टीका लगने वाले बच्चों के ट्रेकिंग सिस्टम, रिकॉर्ड एवं माता शिशु टीकाकरण कार्ड के बारे में जाना ।

अंश हेप्पीनेस सोसाइटी के मोहसीन खान ने बताया कि यह एक लर्निंग केम्प है एवं यूथ फॉर चिल्ड्रेन का एक हिस्सा है, जो यूनिसेफ के सहयोग से अंश हेप्पीनेस सोसाइटी संचालित कर रही है। उन्होंने

आगे बताया कि पातालकोट मध्यप्रदेश के सबसे निचले बिंदु पर स्थित है जहाँ युवा बच्चों और समुदाय से मिलने एवं प्रदेश के प्रयासों के बारे में जानने आये हैं। इस तीन दिन के केम्प में युवाओं ने एक रणनीति तैयार की जिसमें उन्होंने तय किया कि वे अपने माध्यमों की मदद से कैसे बच्चों की टीकाकरण में मदद कर पाते हैं। सभी ने टैग लाइन, स्टोरी आईडिया, गीत, स्केच और पोस्ट पर कार्य किया जो वे भविष्य में सोशल मीडिया में उपयोग करेंगे।

सभी युवा मध्यप्रदेश में 15 जनवरी 2019 को शुरू होने वाले मीसल्स-रुबैला अभियान में लोगों से भी सीधा संवाद करके उन्हें जागरूक करेंगे। सभी युवाओं ने इस पहल में अपना सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। केम्प में भोपाल, दिल्ली एवं हरदा के ब्लॉगर एवं सोशल मीडिया चेम्पियन ने भाग लिया।

यूनिसेफ मध्यप्रदेश के अनिल गुलाटी ने कहा कि यह सभी सोशल मीडिया युवा यूनिसेफ के स्वास्थ्य विभाग के साथ किये गए प्रयासों का एक भाग है। यह युवा मध्यप्रदेश में 15 जनवरी 2019 से शुरू होने वाले मीसल्स-रुबैला टीकाकरण के शुभारम्भ में सभी लोगों को जागरूक करने में हमारा सहयोग करेंगे। युवाओं की यह ऊर्जा इस टीकाकरण की प्रक्रिया को बच्चों के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में बदल देगी।

● अजय कुमार पटेल

टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्यों के लिये

मध्यप्रदेश को मिला प्रशंसा-पत्र

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Certificate of Presentation

This Certificate is Conferred Upon the State of Madhya Pradesh for Poster Presentation of the Good Practice Titled Concurrent Monitoring Through RI Monitors in Routine Immunization at the 5th National Summit on Good and Replicable Practices and Innovations in Public Healthcare System held at Kaziranga, Assam during October 30-31 & November 01, 2018.

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मध्यप्रदेश को रूटीन टीकाकरण में उत्कृष्ट पोस्टर प्रजेन्टेशन के लिये प्रशंसा-पत्र जारी किया है। मध्यप्रदेश ने 30 अक्टूबर से एक नवम्बर, 2018 तक असम के काजीरंगा में हुई पाँचवीं नेशनल समिट ऑन गुड एण्ड रेप्लीकेबल प्रेक्टीसेस एण्ड इनोवेशंस इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में 'कोकरेंट मॉनिटरिंग थ्रू आरआई मॉनिटर्स इन रूटीन इम्युनाइजेशन' पोस्टर प्रजेन्टेशन दिया था। केन्द्र शासन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यूएनडीपी ने भी मध्यप्रदेश द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों की प्रशंसा की है। मध्यप्रदेश में टीकाकरण की बेहतर उपलब्धि के लिये एक नवाचार किया गया था, जिसमें लिखित और मौखिक परीक्षा के बाद 500 में से 160 बीएससी पास एमपीडब्ल्यू (पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता) का चयन किया गया था। यह प्रयोग देश में अपने आप में अनूठा है। इन एमपीडब्ल्यू को जीपीएस आधारित उच्च तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके कारण प्रदेश के टीकाकरण में 26 प्रतिशत का बड़ा उछाल हासिल हुआ। एमपीडब्ल्यू को टीकाकरण में पंचायत पुरस्कार के चयन के लिये दूसरे गाँवों में भी भेजा गया था।

26 जनवरी, 2019 गणतंत्र दिवस को ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/18/पंचा./2019/22/पं.-1/पं.उ.स/ **भोपाल, दिनांक 15.01.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : 26 जनवरी, 2019 (गणतंत्र दिवस) को ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलिन की प्रक्रिया) नियम, 2001 एवं अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के तहत 26 जनवरी, 2019 को आयोजित ग्राम सभाओं में एजेण्डा बिंदु निम्नानुसार रखे जावें -

(1) महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने ''लोगों की सरकार'' ''लोग ही सरकार '' के सिद्धांत को लागू करने के संबंध में चर्चा।

(2) मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी, 2019 से प्रत्येक ग्राम सभा में ऐसे पात्र किसानों के ऋण खातों की जानकारी जिनके बैंक खाते आधार सीडेड हैं (एवं अभिप्रमाणित हैं) को हरी सूची एवं ऐसे पात्र किसान जिनके ऋण खाते आधार सीडेड नहीं हैं (अभिप्रमाणित नहीं हैं) को सफेद सूची में चस्पा किये जाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। हरी सूची के नाम के किसानों द्वारा हरे आवेदन-पत्र तथा सफेद सूची के किसानों द्वारा सफेद आवेदन-पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 26 जनवरी, 2019 को ग्राम सभाओं में हरे एवं सफेद आवेदन-पत्र भरने वाले किसानों के नाम पढ़े जाना हैं तथा हरे एवं सफेद सूची के ऐसे किसान जिनके द्वारा 25 जनवरी, 2019 तक आवेदन-पत्र नहीं भरे हैं उनके नाम भी ग्राम सभा में पढ़े जाना हैं, ताकि ऐसे किसानों द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 के मध्य अपने आवेदन-पत्र भरे जा सकें।

(3) भारत सरकार द्वारा लिये निर्णय अनुसार वर्ष 2020 तक खसरा (मीजल्स) रोग निर्मूलन एवं रूबेला रोग नियंत्रण हेतु 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को अभियान अंतर्गत माह जनवरी में एम.आर. वैक्सीन टीकाकरण हेतु प्रतिरोधी परिवारों को प्रोत्साहन के संबंध में चर्चा।

(4) महिला सशक्तिकरण हेतु महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना बनाने के संबंध में चर्चा।

(5) स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ओडीएफ ग्राम की निरंतरता पर चर्चा।

(6) ग्राम में कचरे से समुचित निपटान अर्थात ''कचरे से कंचन'' की जानकारी समुदाय को दी जाना एवं कचरे के समुचित निपटान में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा।

(7) मनरेगा योजनांतर्गत जरूरतमंद परिवारों को नवीन जॉब कार्ड का वितरण करना एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रणनीति पर चर्चा।

(8) मनरेगा योजना में आगामी वर्ष से "secure" सॉफ्टवेयर अंतर्गत ऑनलाइन प्राक्कलन की व्यवस्था लागू करने हेतु

आगामी वर्ष में लिये जाने वाले समस्त कार्य (सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत प्रविष्टि नरेगा सॉफ्ट में कराया जाना।

(9) जल संसाधनों का प्रबंधन तथा जल संरक्षण अभियान के संबंध में विचार एवं रणनीति निर्मित करना।

(10) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों की पूर्णता पर चर्चा।

(11) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत अर्जित प्रगति का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना तथा अनुमोदन एवं पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 18158 दिनांक 24.12.2018 के अनुसार आदर्श ग्राम घोषित करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में आदर्श ग्राम घोषित करने का अनुमोदन।

(12) मध्यान्ह भोजन का वितरण नियमित, साप्ताहिक मेनू, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मात्रा में प्रदाय पर चर्चा।

(13) शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत (5-10 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली एवं कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत (10-19 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को सेवन कराने के संबंध में चर्चा।

(14) 6 से 60 माह के बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप (प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं 5 से 19 वर्षीय शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को उम्र अनुसार आई.एफ.ए. गोलियों का साप्ताहिक सेवन कराने के संबंध में चर्चा।

(15) वर्ष में 1 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु 1 से 19 वर्षीय बच्चों को चबाने वाली मीठी एल्बेण्डाजोल गोली की प्रदायगी के संबंध में चर्चा।

(16) म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत में गठित समूहों की गतिविधि एवं समूह सदस्यों की सफलता व प्रगति के संबंध में चर्चा कर ग्रामीणों को अवगत कराया जाए।

(17) यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र समूह गठन से परिपूर्ण है अर्थात् वहां कोई इच्छुक पात्र परिवार समूह से जुड़ने के लिए छूटा नहीं है व ग्राम में नये समूह बनने की कोई संभावना नहीं है, इस आशय का अनुमोदन ग्राम सभा से करवाया जाए।

(अमित राठौर)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/19/पंचा./2019/22/पं.-1/पं.उ.स. **भोपाल, दिनांक 15.01.2019**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. समस्त मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

---

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग) मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।

---

1. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल म.प्र.।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छता भारत मिशन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोज़गार विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, मनरेगा परिषद, नर्मदा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संयुक्त आयुक्त, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एस.आर.एल.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

---

1. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, माध्यम/पंचायिका की ओर प्रकाशनार्थ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायतों द्वारा जी.एस.टी. अंतर्गत स्त्रोत पर कर कटौत्रा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय

क्रमांक/20/पंग्राविवि/2019 **दिनांक 15.01.2019**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः जीएसटी अंतर्गत स्त्रोत पर कर का कटौत्रा।

1. भारत सरकार के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 65/39/2018-DOR दिनांक 14.09.2018 एवं मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र क्रमांक 468/1947/1/पांच दिनांक 22.06.2017 द्वारा जीएसटी के अंतर्गत स्त्रोत पर कर की कटौत्री के निर्देश एवं स्टेन्डर्ड ऑपरेटिव प्रोसिजर (SOP) जारी किये हैं। अपंजीकृत डीलर/सेवा प्रदायकर्ता (भुगतान की राशि चाहे जितनी हो) द्वारा माल या सेवा या दोनों की दी गई सप्लाई पर कर कटौत्रा नहीं किया जाना है।
2. यदि ग्राम पंचायत/जनपद/जिला पंचायत के द्वारा किसी भी एक अनुबंध के अंतर्गत रुपये 2.50 लाख से अधिक के कर योग्य माल अथवा सेवाओं (या दोनों) की आपूर्ति जीएसटी में पंजीकृत एक सप्लायर्स से ली जा रही है तो उस निकाय को जीएसटी में डिटक्टर पंजीयन प्राप्त करना होगा। पूरी तरह गैर-पंजीकृत सप्लायर्स से माल या सेवा लेने पर डिटक्टर पंजीयन की आवश्यकता नहीं है और स्त्रोत पर कटौती की आवश्यकता भी नहीं है।
3. निकायों को स्त्रोत पर कर कटौत्रा करने हेतु जीएसटी पोर्टल पर और सचिव/सहायक सचिव द्वारा PAN, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।
4. यदि किसी भी अनुबंध अंतर्गत सप्लायर से प्राप्त की गई कर योग्य माल या सेवा (या दोनों) की कीमत (जीएसटी को छोड़कर) रुपये 2.50 लाख से अधिक है, तो राज्य के भीतर से सप्लाई होने पर निर्धारित 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत स्टेट जीएसटी एवं 1 प्रतिशत सेन्ट्रल जीएसटी) का कटौत्रा किया जाना है। अंतर्राज्यीय सप्लाई प्राप्त होने पर केवल 2 प्रतिशत आईजीएसटी का कटौत्रा होगा। दिनांक 01.10.2018 के पूर्व जारी टेक्स इनवाइस पर कटौत्रा नहीं करना है।
5. ऐसे मामलों में आंशिक या पूर्ण भुगतान करने पर GST (TDS) कटौत्रा किया जाना होगा। स्त्रोत पर किये गये कर के कटौत्रा को अगले माह की 10 तारीख तक शासन को जमा कराना तथा फार्म-जीएसटीआर-7 में ऑनलाइन रिटर्न भरना अनिवार्य है। (साथ ही कॉमन पोर्टल (https://www.gst.gov.in) के द्वारा जिस व्यक्ति से कटौत्रा किया गया है, उसको सिस्टम के द्वारा जनरेटेड फार्म-जीएसटीआर-7अ में कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।) डिडक्टर द्वारा निर्धारित समय सीमा में फार्म-जीएसटीआर-7 A में विवरण पत्र प्रस्तुत न करने पर रुपये 100/- प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 5000/-) विलंब शुल्क CGST एवं SGST के अधीन पृथक-पृथक देय होगा। फार्म-जीएसटीआर-7ए में प्रमाण पत्र समयावधि में नहीं दिए जाने पर रुपये 100/- प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 5000/-) विलंब शुल्क CGST एवं SGST के अधीन पृथक-पृथक देय होगा। डिडक्टर द्वारा टीडीएस नहीं कटने, कम टीडीएस कटने एवं टीडीएस की गई जितनी राशि नहीं काटी गई है या कम राशि काटी गई या नहीं जमा हुई राशि या रु. 10000/- जो अधिक हो, की शास्ति के प्रावधान हैं। जीएसटी के अंतर्गत स्त्रोत पर टीडीएस कटौत्रा करने के संबंध में विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं, जिसमें माल और सेवा को परिभाषित किया गया है तथा टेक्स कटौत्रा करने के संबंध में उदाहरण भी दिये गये हैं। यथा में टेक्स कटौत्रा से संबंधित विभिन्न सामान्य प्रश्न, उत्तर (FAQ) भी दिये गये हैं।

   पंच-परमेश्वर पोर्टल पर स्त्रोत पर जीएसटी कटौत्रे का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कटौत्रे की राशि तत्काल शासन को जमा कराने की सुविधा हो। जब तक पंच-परमेश्वर पोर्टल पर उक्त व्यवस्था नहीं होती है तब तक भुगतानकर्ता को जी.एस.टी. का कटौत्रा कर राशि का भुगतान किया जावे तथा जी.एस.टी. की राशि जी.एस.टी. विभाग में जमा की जावे।

   उक्त व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जएगा, जिस हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

(अमित राठौर)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

14वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय हेतु ग्राम पंचायतों में पीएफएमएस एवं प्रियासॉफ्ट लागू किये जाने बाबत निर्देश

PFMS परिपत्र - 1

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/पं.रा./ई.पं./2019/459 **भोपाल, दिनांक 11.01.2019**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : - **14वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय हेतु ग्राम पंचायतों में PFMS एवं PriaSoft लागू किये जाने बाबत।**

संदर्भ : - पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्र. No. 1/AS(BP)/MoPR-2018 दिनांक 13.07.2018।

विषयांतर्गत भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार 14वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय हेतु ग्राम पंचायतों में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के Public Financial Management System (PFMS) सॉफ्टवेयर को अपनाया जाना है। PFMS सॉफ्टवेयर को भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के PriaSoft सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों में केवल 14वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय हेतु Panchayati Raj Institutions Accounting Software (PriaSoft) सॉफ्टवेयर लागू किया जावे। इस हेतु चरणबद्ध तरीके से निम्न तैयारी पूर्ण कर ली जावे :-

1. सर्वप्रथम 14वें वित्त अनुदान हेतु ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत का एक और बैंक खाता अनिवार्य रूप से उसकी एकल खाते वाली बैंक शाखा में खोला जावे। बैंक खाते का नाम इस प्रकार बनाया जावे - Gram Panchayat Name GP LGD Code Janpad Name District Name CFC MP (उदा. : Acharpura 134357 Phanda Bhopal CFC MP)।
2. समस्त ग्राम पंचायत सरपंच के एक वर्ष की वैधता के एवं ग्राम पंचायत सचिव के दो वर्ष की वैधता के व्यक्तिगत Digital Signature Certificate (Class 2 अथवा Class 3) बना ली जावे। जहां ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार है, वहाँ ग्राम रोज़गार सहायक के DSC बनावें।
3. Local Government Directory (LGD) पर समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की मैपिंग पूर्ण कर डाटा फ्रीज किया जावे।
4. PriaSoft सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत का लॉगिन पासवर्ड संबंधित ग्राम पंचायत के ''पंच-परमेश्वर'' पोर्टल लॉगिन पर प्रदर्शित किया जावेगा। PriaSoft को उपयोग करने हेतु जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नामांकित किये जावें जो कि राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देंगे।

उक्त कार्य 30 जनवरी, 2019 तक पूर्ण करें। 14वें वित्त आयोग अनुदान के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के व्यय ''पंच-परमेश्वर'' पोर्टल के माध्यम से निरंतर रहेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को DSC बनाने हेतु राशि रु. 2000/- तक का व्यय पंच-परमेश्वर के खाते से किया जा सकेगा। विस्तृत निर्देश एवं प्रशिक्षण पृथक से प्रदान किया जावेगा। कृपया उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव

ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

क्र. 453/पं.ग्रा.वि.वि./MPSTEPS-272/18 **भोपाल, दिनांक 10.01.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- भारत सरकार के नेशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (NOFN) अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराई जा रही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के संबंध में।

प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के नेशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (NOFN) प्रोजेक्ट अंतर्गत BBNL द्वारा ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। BBNL द्वारा अभी प्रदेश की 12687 ग्राम पंचायतों में कनेक्शन कर दिये गये परन्तु संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उपर्युक्त प्लान न लिये जाने के अभाव में कनेक्टिविटी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये BSNL द्वारा प्रस्तावित निम्न प्लान में से कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही करें :-

S.N.	Plan Particulars	Plan Details
1.	Plan Name	BG Combo ULD 499
2.	Fixed Monthly Charges (in Rs.) excluding GST	Rs. 499/-
3.	Security Deposit	Waive-Off
4.	Installation Charges	Waive-Off
5.	Bandwidth (Download Speed) subject to technical feasibility	Upto 8 Mbps till 25GB Upto 1 Mbps beyond
6.	Voice Calling Facility	a) 24 hrs. Unlimited free calling (Local+STD) within India on BSNL network. b) Unlimited free calls (Local+STD) between 10.30 PM to 6.00 AM and on all Sundays, to any network within India.
7.	Other Terms & Conditions	As per Standard Plan

अति आवश्यक होने एवं उपयोगिता होने पर उक्त प्लान से पूर्ति न होने की स्थिति में ''Fibre Combo ULD 777'' जिसमें मासिक व्यय रु. 777/- डाऊनलोड स्पीड 500 GB तक 50Mbps एवं उसके बाद 2Mbps होगी, लिया जा सकता है।

उपर्युक्त प्लान लिये जाने के पश्चात मासिक बिल भुगतान 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्रशासकीय मद की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मासिक बिल भुगतान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये BBNL, BSNL के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठक कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला/जनपद/ग्राम पंचायतवार सूची http://www.bbnl.nic.in पर उपलब्ध है जिनको विधिवत चालू किये जाने तथा उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित कर उनका नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आयडी आदि की जानकारी mpsteps@mp.gov.in पर भेजें।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)

(अमित राठौर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

संचालनालय द्वारा स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों की राशि वितरण के संबंध में

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/पं.राज/निर्माण - आर-2/2019/847 **भोपाल, दिनांक 17.01.2019**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय : - संचालनालय द्वारा स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों की राशि वितरण के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि राज्य शासन/पंचायत राज संचालनालय द्वारा वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में आपके जिला अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, पुलिया निर्माण, बाउण्ड्रीवाल निर्माण, चबूतरा निर्माण, नाली निर्माण, घाट निर्माण, शांतिधाम, चौपाल निर्माण तथा सी.सी. रोड निर्माण आदि निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिसकी प्रथम किश्त की राशि संचालनालय द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

2. संचालनालय द्वारा स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों के द्वितीय किश्त की राशि के प्रस्ताव विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नवीन स्वीकृत कार्यों की प्रथम किश्त तथा पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों के द्वितीय किश्त की राशि संबंधित जिला पंचायत स्तर से जारी की जावे।

3. संचालनालय स्तर से स्वीकृत कार्यों की द्वितीय किश्त की राशि जारी करने के लिये संचालनालय द्वारा संलग्न सूची अनुसार आपके जिला पंचायत को आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

4. द्वितीय किश्त की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

   4.1 संचालनालय द्वारा प्रदाय की जा रही राशि में से केवल ऐसी ग्राम पंचायतों को ही द्वितीय किश्त की राशि प्रदान की जावे जिन ग्राम पंचायतों को संचालनालय द्वारा पूर्व में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई है।

   4.2 प्रदाय की जा रही राशि में से ऐसे ग्राम पंचायतों को द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं की जायेगी, जिसके निर्माण कार्य जिला/जनपद पंचायत से स्वीकृत किये गये हों।

   4.3 संचालनालय द्वारा वर्ष 2016-17 में संचालनालय के आदेश दिनांक 23.03.2017 द्वारा माननीय विधायकों के विकल्प पर सामुदायिक भवन/पंचायत भवन स्वीकृत किये गये हैं। जिसकी प्रथम किश्त की राशि संचालनालय द्वारा तत्समय जिलों को प्रदाय की गई है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से जारी की गई है। ऐसे निर्माण कार्यों के द्वितीय किश्त की राशि प्रदाय की जा रही राशि से नहीं दी जा सकेगी। इसके लिये संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 15107 दिनांक 12.12.2017 द्वारा इन कार्यों की राशि जिला पंचायतों के एकल खाते में ए श्रेणी के मदों से व्यय करने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।

   4.4 प्रदाय की जा रही राशि में से द्वितीय किश्त की राशि जारी करने के पूर्व स्वीकृत निर्माण कार्यों को फोटोटैग किया जावे। प्रथम किश्त के रूप में संचालनालय से ग्राम पंचायतों को जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही ग्राम पंचायतों को द्वितीय किश्त की राशि जारी की जा सकेगी।

   4.5 पंचायत राज संचालनालय द्वारा वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के एकल खाते में उपलब्ध राशि से स्वीकृत कार्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी जिला पंचायत के एकल खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो तो वे इसके लिये अलग से आवंटन की मांग कर सकेंगे।

   4.6 पंचायत राज संचालनालय द्वारा जिन ग्राम पंचायतों को द्वितीय किश्त की राशि पूर्व में जारी की गई है, उन्हें पुनः द्वितीय किश्त की राशि न दी जावे। कृपया इसकी पुष्टि कर लें। संचालनालय द्वारा जारी की गई द्वितीय किश्त की

राशि की सूची पत्र के साथ संलग्न है।

4.7 संचालनालय द्वारा उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना, 07 जिलों में पोषण आहार संयंत्र एवं 2623 ग्रामों में एलईडी स्ट्रीट लाईट हेतु प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन्हें जिला स्तर से जारी की जाने वाली द्वितीय किश्त की सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा, इसके लिये संचालनालय द्वारा पृथक से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं विद्युत वितरण कंपनी को राशि दी जावेगी।

4.8 द्वितीय किश्त की राशि जारी करने पर इसकी प्रविष्टि पंचायत पोर्टल पर की जाना आवश्यक होगा।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें एवं संचालनालय को अवगत करावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(अमित राठौर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/पं. राज/निर्माण - आर-2/2019/848 **भोपाल, दि. 17.01.2019**

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला समस्त, की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय की ओर अग्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची अनुसार राशि जिला पंचायतों को अंतरित करें एवं की गई कार्यवाही से निर्माण शाखा को अवगत करावें।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों से संबंधित ग्राम पंचायतों को अवगत करावें।
6. मैनेजर वेबसाइट पंचायिका की ओर अग्रेषित कर लेख है कि इसे पंचायत पोर्टल हेतु।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

द्वितीय किश्त हेतु जिला पंचायतों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि

क्र.	जिला	जिलों को द्वितीय किश्त जारी की जाने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि (रुपये लाख में)	क्र.	जिला	जिलों को द्वितीय किश्त जारी की जाने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि (रुपये लाख में)
1.	आगर मालवा	100.00	10.	बुरहानपुर	80.00
2.	अलीराजपुर	60.00	11.	छतरपुर	200.00
3.	अनूपपुर	60.00	12.	छिंदवाड़ा	200.00
4.	अशोकनगर	80.00	13.	दमोह	200.00
5.	बालाघाट	100.00	14.	दतिया	100.00
6.	बड़वानी	100.00	15.	देवास	100.00
7.	बैतूल	100.00	16.	धार	100.00
8.	भिण्ड	100.00	17.	डिण्डोरी	40.00
9.	भोपाल	60.00	18.	गुना	60.00

क्र.	जिला	जिलों को द्वितीय किश्त जारी की जाने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि (रुपये लाख में)	क्र.	जिला	जिलों को द्वितीय किश्त जारी की जाने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि (रुपये लाख में)
19.	ग्वालियर	80.00	36.	रतलाम	120.00
20.	हरदा	80.00	37.	रीवा	120.00
21.	होशंगाबाद	80.00	38.	सागर	140.00
22.	इंदौर	60.00	39.	सतना	120.00
23.	जबलपुर	80.00	40.	सीहोर	140.00
24.	झाबुआ	80.00	41.	सिवनी	80.00
25.	कटनी	60.00	42.	शहडोल	60.00
26.	खण्डवा	80.00	43.	शाजापुर	140.00
27.	खरगोन	100.00	44.	श्योपुर	120.00
28.	मंडला	60.00	45.	शिवपुरी	120.00
29.	मंदसौर	80.00	46.	सीधी	100.00
30.	मुरैना	120.00	47.	सिंगरौली	100.00
31.	नरसिंहपुर	100.00	48.	टीकमगढ़	140.00
32.	नीमच	60.00	49.	उज्जैन	120.00
33.	पन्ना	80.00	50.	उमरिया	40.00
34.	रायसेन	120.00	51.	विदिशा	160.00
35.	राजगढ़	120.00		**कुल**	**5100.00**

महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 08 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को ''सबला महिला सभा'' तथा 19 नवंबर को ''प्रियदर्शनी महिला सभा'' का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय
//आदेश//

क्रमांक/एफ 2-1-19/22/पं. 1/222 **भोपाल, दिनांक 07.01.2019**

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 08 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को ''सबला महिला सभा'' तथा 19 नवंबर को ''प्रियदर्शनी महिला सभा'' का आयोजन किया जाए।

अतः राज्य शासन के निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन करना सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.आर. चौधरी)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग